वार्षिक प्रतिवेदन

2016–2017

संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय नं.	विषय वस्तु	पृष्ठ
अध्याय–1	**प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना**	1&4
	(क) प्रस्तावना	1-2
	(ख) संगठनात्मक संरचना	2-3
	(ग) संगठनात्मक चार्ट	4
अध्याय–2	**संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान**	5-7
	(क) सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान	5-7
	(ख) सत्र	6-7
	(i) बुलाया जाना	6
	(ii) सत्रावसान	6-7
	(ग) लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सोलहवीं लोक सभा)	7
अध्याय–3	**राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश**	8-13
	(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	8
	(ख) अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	9
	(ग) अध्यादेश	9-11
	(घ) राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 31.12.2016 तक प्रख्यापित अध्यादेश	11
अध्याय–4	**संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण**	14-20
	(क) सरकारी कार्य	14
	(ख) सरकारी कार्य की आयोजना	14-15
	(ग) सरकारी कार्य का प्रबंधन	16
	(घ) निष्पादित सरकारी कार्य का सार	16-17
	(i) विधायी	16
	(ii) वित्तीय	16-17
	(iii) बजट	17
	(ड.) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	17
	(च) सरकारी समय का मुख्य आबंटन	18
	(छ) व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय.....	19
	(ज) अन्य गैर–सरकारी कार्य	19
	(झ) बैठकों की संख्या	20
अध्याय–5	**गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य**	21-29
	(क) लोक सभा	21-22
	(i) नियम 193 के अंतर्गत चर्चा	21-22
	(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	22
	(ख) राज्य सभा	23-25
	(i) नियम 176 के अंतर्गत चर्चा	23-24
	(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	24-25
	(iii) मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा	25
	(ग) गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख	25-26
	(घ) दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक	26-27
	(ङ) दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प.....	27
	(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2016 के दौरान पारित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक.....	28
	(छ) लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प.....	29

अध्याय नं.	विषय वस्तु	पृष्ठ
अध्याय-6	**आश्वासनों की मानीटरिंग**	30-35
	(क) सामान्य प्रक्रिया	30-31
	(ख) लोक सभा	31-33
	(ग) राज्य सभा	33-34
	(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई	35
	(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन	35
अध्याय-7	**लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख**	36-38
	(क) नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले.....	36
	(ख) नियम 180 ए–ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख	36-37
	(ग) अनुवर्ती कार्रवाई	37
	(घ) प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई	37-38
अध्याय-8	**परामर्शदात्री समितियां**	39-41
अध्याय-9	**सद्भावना शिष्टमंडलों में भेजे गए संसद सदस्य**	42-66
	(क) सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमंडलों के विदेश दौरे	42-65
	(ख) संसद सदस्यों के विदेश दौरे.....	65-66
	(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति	66
	(घ) विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति	66
		66
अध्याय-10	**युवा संसद योजना**	67-74
	(क) प्रस्तावना	67-68
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता	68-69
	(i) 51वीं युवा संसद प्रतियोगिता.....	69
	(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....	69-71
	(i) अभिविन्यास पाठ्यक्रम.....	70-71
	(ii) 28वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह.....	69-70
	(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	71-72
	(i) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 20वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	72
	(ii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 20वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....	72
	(ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता.....	73-74
	(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	74
	(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण.....	74

अध्याय नं.	विषय वस्तु	पृष्ठ
अध्याय-11	मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	75-79
अध्याय-12	सामान्य	80-88
	(क) सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन...	80
	(ख) हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन.....	80
	(ग) संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....	80-81
	(घ) संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते.....	81
	(ङ) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....	81
	(च) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन.....	82
	(छ) संसद सदस्यों का कल्याण.....	82-83
	(ज) संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क.....	83
	(झ) केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम.....	83
	(ट) अनुसंधान कार्य.....	83-84
	(ठ) बजट की स्थिति.....	85
	(ड) अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप.....	85-86
	(ढ) ई–ऑफिस एम.एम.पी. का आरंभ.....	87
		87
		88
		88

परिशिष्ट

अध्याय नं.	विषय वस्तु	पृष्ठ
परिशिष्ट–1	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	89-90
परिशिष्ट–2	दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	91-94
परिशिष्ट–3	16वीं लोक सभा के 10वें सत्र और राज्य सभा के 241वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लम्बित सरकारी विधेयकों की सूची	95-98
परिशिष्ट–4	दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान रेल तथा सामान्य बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण	99-102
परिशिष्ट–5	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण	103-104
परिशिष्ट–6	दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुररूस्थापित गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक	105-115
परिशिष्ट–7	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितंबर, 2005 में बनाए गए दिशा–निर्देश	116-122
परिशिष्ट–8	16वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची	123-124
परिशिष्ट–9	परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय	125-130
परिशिष्ट–10	मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण	131-132
परिशिष्ट–11	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	133-134
परिशिष्ट–12	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	135
परिशिष्ट–13	संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण	136-141
परिशिष्ट–14	पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं	142-143

अध्याय

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन–प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले – वित्तीय, विधायी और गैर–विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया और बृहत जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य परिशिष्ट–1 में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुररूस्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू रूप से पारित होना सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्तरूसत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबंद्ध 35 परामर्शदात्री समितियां हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा–निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख–रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भारत लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और

भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के अन्य देशों के दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत के दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं जिन्होंने प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभालाः–

1.	श्री एम. वेंकैया नायडु, कैबिनेट मंत्री	दिनांक 26.05.2014 से 05.07.2016 तक (दिनांक 05.07.2016 से कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ दिया था)
2.	श्री अनंतकुमार, कैबिनेट मंत्री	दिनांक 05.07.2016 से आगे
3.	श्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री	दिनांक 09.11.2014 से आगे
4.	श्री राजीव प्रताप रूडी, राज्य मंत्री	दिनांक 09.11.2014 से 05.07.2016 तक (दिनांक 05.07.2016 से राज्य मंत्री का पद छोड़ दिया था)
5.	श्री एस.एस. अहलुवालिया, राज्य मंत्री	दिनांक 05.07.2016 से आगे

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

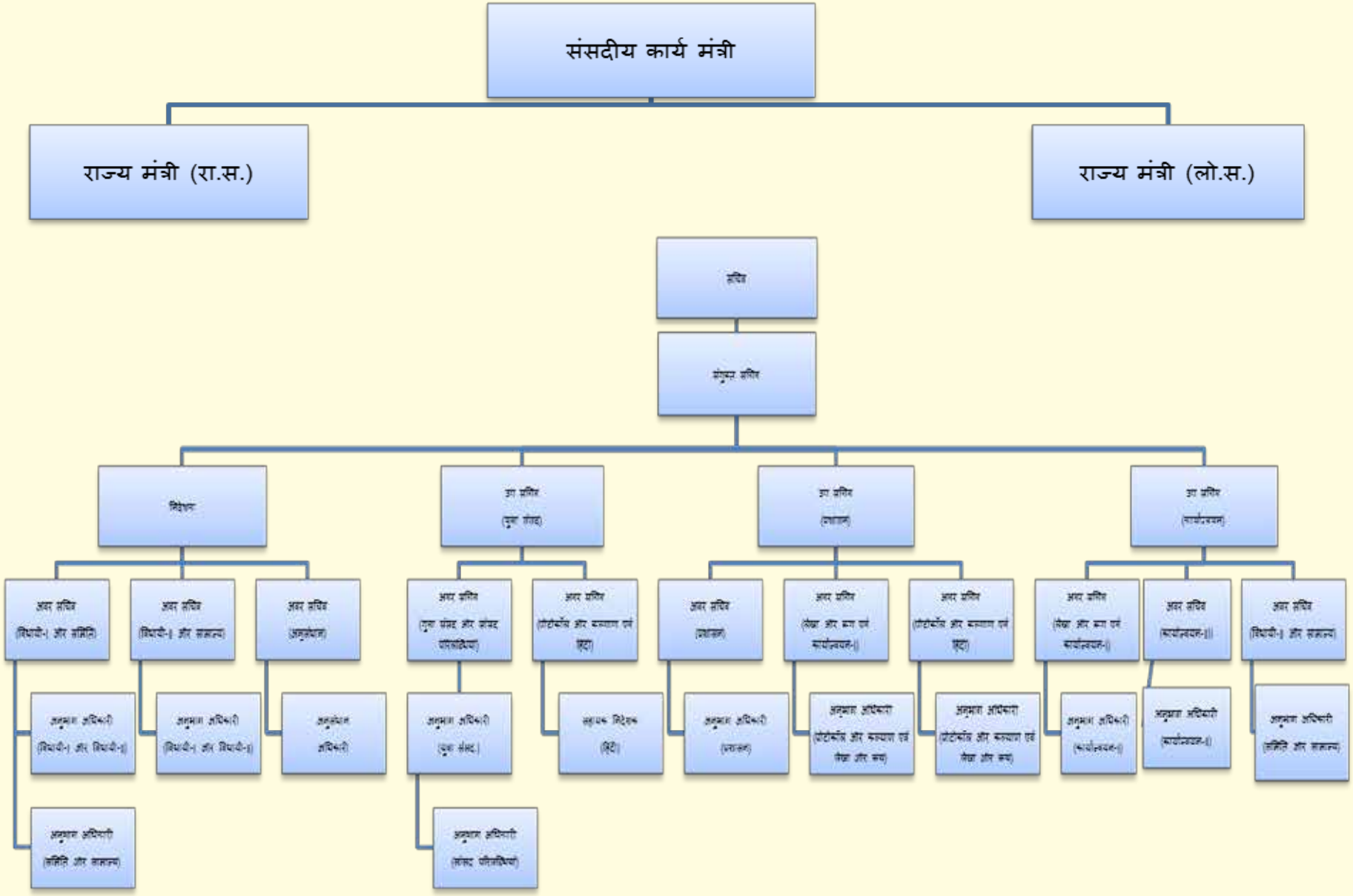

अध्याय–2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक

दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान चार सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा की क्रमशः 70 और 72 बैठकें हुई।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय–समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र आरंभ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) **बुलाया जाना**

2.2 **दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के चार सत्र बुलाए गए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–**

सोलहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
7वां	23 फरवरी, 2016 से 16 मार्च, 2016	16	23
8वां	25 अप्रैल, 2016 से 11 मई, 2016	13	17
9वां	18 जुलाई, 2016 से 12 अगस्त, 2016	20	26
10वां	16 नवंबर, 2016 से 16 दिसंबर, 2016	21	30
राज्य सभा			
238वां	23 फरवरी, 2016 से 16 मार्च, 2016	16	23
239वां	25 अप्रैल, 2016 से 13 मई, 2016	15	19
240वां	18 जुलाई, 2016 से 12 अगस्त, 2016	20	26
241वां	16 नवंबर, 2016 से 16 दिसंबर, 2016	21	30

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:–

सोलहवीं लोक सभा		
सत्र	तारीख	
	अनिश्चित काल के लि, स्थगन	सत्रावसान
7वां	16 मार्च, 2016	29 मार्च, 2016
8वां	11 मई, 2016	19 मई, 2016
9वां	12 अगस्त, 2016	19 अगस्त, 2016
10वां	16 दिसंबर, 2016	19 दिसंबर, 2016
राज्य सभा		
238वां	16 मार्च, 2016	30 मार्च, 2016
239वां	13 मई, 2016	20 मई, 2016
240वां	12 अगस्त, 2016	25 अगस्त, 2016
241वां	16 दिसंबर, 2016	19 दिसंबर, 2016

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण

(पहली से सोलहवीं लोक सभा)

लोक सभा	मतदान की अंतिम तारीख	गठन की तारीख	पहली बैठक की तारीख	कार्यकाल पूरा होने की तारीख ख्संविधान का अनुच्छेद 83(2)	भंग होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौंवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.2014		

*1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय–3
राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक कि उन मामलों पर जिनका अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 कलैंडर वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में दिनांक 23 फरवरी, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया गया। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:–

16वीं लोक सभा का सातवां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्रीमती मीनाक्षी लेखी (प्रस्तावक) श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (अनुमोदक)	24, 25 और 26 फरवरी तथा 1 और 2 मार्च, 2016 **(स्वीकृत)**
राज्य सभा का 238वां सत्र	
श्री जगत प्रकाश नड्डा (प्रस्तावक) श्री एम.जे. अकबर (अनुमोदक)	1, 2 और 3 मार्च, 2016 **(स्वीकृत)**

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुनः सत्रारम्भ से छः सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इन संकल्पों के दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभाव हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न–भिन्न तारीखों को होते हैं तो छः सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा–पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा–पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण–विवरण को सभा–पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ–साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छः सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, 10 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। इन अध्यादेशों के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक–एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। उनके प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विभिन्न विवरणों की सूचना नीचे दी गई है:–

क्र.सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुररूस्थापन	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (2016 संख्या 1) (07.01.2016)	23.02.16	23.02.16	0803.2016 (लोक सभा)	09.03.2016	--	--
2	उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016 (2016 संख्या 2) (31.03.2016)	25.04.16	25.04.16	09.05.2016	09.05.2016	--	2016 का 33 28.05.2016
3	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) दूसरा अध्यादेश, 2016 (2016 संख्या 3)(02.04.2016)	25.04.16	25.04.16	--	--	--	--

4	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 संख्या 4) (24.05.2016)	18.07.16	18.07.16	19.072016	19.07.2016	01.08.2016	**2016 का 39** 04.08.2016
5	दंत–चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 संख्या 5) (24.05.2016)	18.07.16	18.07.16	19.07.2016	19.07.2016	01.08.2016	**2016 का 40** 04.08.2016
6	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) तीसरा अध्यादेश, 2016 (2016 संख्या 6) (31.05.2016)	18.07.16	18.07.16	--	--	--	--
7	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) चौथा अध्यादेश, 2016 (2016 संख्या 7) (28.08.2016)	16.11.16	16.11.16	--	--	--	--
8	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 (2016 संख्या 8) (22.12.2016)	--	--	--	--	--	--
9	मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 संख्या 9) (28.12.2016)	--	--	--	--	--	--
10	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अध्यादेश, 2016 (2016 संख्या 10) (30.12.2016)	--	--	--	--	--	--

3.8 लोक सभा में क्रम संख्या 2, 4 और 5 तथा राज्य सभा में क्रम संख्या 4 और 5 पर उल्लिखित अध्यादेशों के संबंध में अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों को पेश किया गया।

3.9 राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 31.12.2016 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10		

टिप्पणीः अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:–

पहली लोक सभाः 2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)

दूसरी लोक सभाः 5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)

तीसरी लोक सभाः	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभाः	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभाः	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभाः	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979ः कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभाः	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तकः कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभाः	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तकः कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभाः	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तकः (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभाः	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तकः कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभाः	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तकः भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभाः	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तकः भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभाः	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 18 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)
सोलहवीं लोक सभा	18 मई, 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी, 26 मई, 2014 से आगे)

अध्याय-4
संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

एक झलक

- वर्ष 2016–17 के लिए बजट (रेल) 25 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2016–17 के लिए बजट (सामान्य) 29 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 43 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अतः सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब–करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय–समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर–विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान ऐसी तीन बैठकें आयोजित की गई। ऐसी बैठकें 9 फरवरी, 2016 को बजट सत्र, 2016 से पहले, 7 जुलाई, 2016 को मानसून सत्र, 2016 से पहले और 5 अक्तूबर, 2016 को शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो पूरी तरह तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी तीन बैठकें – पहली बैठक 9 फरवरी, 2016 को बजट सत्र से पहले, दूसरी बैठक 8 जुलाई, 2016 को मानसून सत्र से पहले और तीसरी बैठक 5 अक्तूबर, 2016 को शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए दिनांक 22.02.2016, 17.07.2016 और 15.11.2016 को विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ बैठकें बुलाई। सरकारी कार्य का सही आकलन करने के पश्चात, प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्य का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की समयावधि के दौरान, सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूची तैयार की गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकें और उन पर चर्चा के लिए भाग लेने की तैयारी कर सकें।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों में 11 वक्तव्य दिए गए।

4.5 (क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी समायोजन किया जा सके। वस्तुतः ऐसे समायोजन दिन–प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा के लिए 84 और राज्य सभा के लिए 90 सरकारी कार्य की सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5 (ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 172 मदों (लोक सभा – 67, राज्य सभा –105) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य–कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। शासकीय दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उसे सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ–साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 सोलहवीं लोक सभा के छठे सत्र तथा राज्य सभा के 237वें सत्र की समाप्ति पर कुल 65 विधेयक (लोक सभा में 11 विधेयक और राज्य सभा में 54 विधयेक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 42 विधेयक (लोक सभा में 40 विधेयक तथा राज्य सभा में 2 विधेयक) पुररूस्थापित किए गए, इस प्रकार कुल लंबित विधेयक 107 हो गए। इनमें से दोनों सदनों द्वारा 43 विधेयक पारित किए गए (परिशिष्ट–2)। 4 विधेयक (लोक सभा और राज्य सभा दोनों में 2–2 विधेयक) वापस लिए गए। सोलहवीं लोक सभा के दसवें सत्र और राज्य सभा के 241वें सत्र की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 60 विधेयक (लोक सभा में 20 विधेयक और राज्य सभा में 40 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि परिशिष्ट–3 में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। केन्द्र सरकार का बजट दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है–रेल और सामान्य। रेल बजट सामान्य बजट से दो से तीन दिन पहले पेश किया जाता है, जो सामान्यतः फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों का राज्य बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब रेल मंत्री तथा वित्त मंत्री अपने बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यतः लोक सभा में मंत्रियों के भाषणों की समाप्ति पर सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें निर्देशित विधेयकों, मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और सदनों को प्रस्तुत दीर्घकालीन मूल नीति संबंधी दस्तावेजों तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कागजातों की जांच करना शामिल है।

(iii) **बजट**

4.10 दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, रेल बजट और सामान्य बजट पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट–4)।

(iv) **अन्य सरकारी कार्य**

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवतः ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (परिशिष्ट–5)।

स्वीकृत किए गए सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प

4.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया सरकारी सांविधिक संकल्प का विवरण नीचे दिया गया है, जिस पर विचार किया गया और जिसे स्वीकृत किया गया:–

क्र.सं.	विषय	तारीख (तारीखें)	लोक सभा		तारीख (तारीखें)	राज्य सभा	
			लिया गया समय			लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1.	रेल अभिसमय समिति 2014 की पहली रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के अनुमोदन की मांग करने वाला संकल्प	29.7.2016	3	51	9.8.2016	00	48

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर–वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर–सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
1.	विधायी		31	5	12	22.63%	18.80%
2.	वित्तीय		19	17	03	19.31%	5.80%
3.	गैर–वित्तीय	196	16	221	20	58.04%	75.39%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:–

लोक सभा					
सत्र	कुल समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
7वां (16वीं लोक सभा)	105	26	19	26	15.56%
8वां (16वीं लोक सभा)	92	56	1	33	1.64%
9वां (16वीं लोक सभा)	121	21	7	56	6.13%
10वां (16वीं लोक सभा)	18	23	92	09	82.62%
कुल	338	06	121	04	26.36%
राज्य सभा					
238वां	86	35	17	43	16.98%
239वां	70	51	19	06	21.23%
240वां	112	59	20	33	15.38%
241वां	23	10	89	21	79.41%
कुल	293	35	146	43	33.32%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 4 और राज्य सभा में 9 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, लोक सभा और राज्य सभा दोनों में 1–1 आधे घंटे की चर्चाएं हुई। लोक सभा में 9 और राज्य सभा में 11 अल्पावधि चर्चाएं हुई। दिनांक 07.12.2016 को काला धन समाप्त करने के लिए नोटों के विमुद्रीकरण पर लोक सभा में अल्पावधि चर्चा अधूरी रही। विमुद्रीकरण पर चर्चा के लिए राज्य सभा में दिनांक 16.11.2016 को एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया परंतु चर्चा अधूरी रही।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या
(वर्ष 1952 से 2016 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	73	73	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36
2016	70	72	43				

अध्याय–5
गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री–परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन–साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर–सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी–बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गईः–

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में हाल की घटनाएं। (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियां)	मानव संसाधन विकास	24.02.2016	04 - 59
2	प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग द्वारा हाल ही में संयुक्त छापों के मद्देनजर तथाकथित धनशोधन जिसमें एयरसेल–मैक्सिस शामिल थी। (श्री भर्तृहरि महताब)	वित्त	02.03.2016	01 - 50
3	पठानकोट एयरबेस पर हाल के आतंकी हमले। (श्री कालीकेश नारायण सिंह देव)	गृह	15.03.2016	04 - 01
4	कई राज्यों में सूखा और पेयजल संकट और संकट से दीर्घकालीन रूप से निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने और जल संसाधन प्रबंधन पर विचार करने की आवश्यकता। (श्री जगदंबिका पाल)	कृषि और किसान कल्याण तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण	05.05.2016 10.05.2016 11.05.2016	09 - 20
5	कश्मीर घाटी में हाल की अहिंसा जो राज्य की जनता की शांति और सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनी। (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियां)	गृह	20.07.2016 21.07.2016	06 - 31
6	मूल्य वृद्धि (श्री पी. करूणाकरन)	उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण	28.07.2016	04 - 40

7	दीर्घकालीन विकास के लक्ष्य। (श्री रतन लाल कटारिया की ओर से श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह)	---	03.08.2016 05.08.2016	04 - 37 (आंशिक चर्चा हुई)
8	देश में दलितों के विरूद्ध अत्याचार। (श्री पी. करूणाकरन की ओर से श्री पी.के. बीजू)	गृह	11.08.2016	05 - 25
9	काले धन को समाप्त करने के लिए नोटों का विमुद्रीकरण। (श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी)	वित्त	05.12.2016 07.12.2016	00 - 05 (आंशिक चर्चा हुई)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावः-

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1	इशरत जहां मामले के संबंध में शपथपत्र में तथाकथित परिवर्तन। (श्री निशिकांत दूबे)	गृह	10.03.2016	01 - 21
2	अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में तथाकथित अनियमितताओं पर कोर्ट ऑफ अपील, मिलान, इटली द्वारा हालिया प्रकटीकरण। (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)	रक्षा	06.05.2016	03 - 01
3	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कथित तौर पर महानदी के ऊपर बैराज परियोजनाओं का कार्य शुरू किए जाने, जिसके परिणामस्वरूप ओडिशा में हीराकुंड बांध में जल प्रवाह अत्यंत दुष्प्रभावित हो रहा है। (श्री भर्तृहरि महताब)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	26.07.2016	00 - 58
4	देश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाईटिस के फैल जाने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम। (श्री योगी आदित्यनाथ)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	11.08.2016	00 - 35

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1.	उच्चतर शिक्षा के केंद्रीय संस्थान विशेषकर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में। (श्री सीताराम येचुरी)	मानव संसाधन विकास	25.02.2016 26.02.2016	05 - 31
2.	देश में व्याप्त कृषि संकट (श्री प्रमोद कुमार तिवारी)	कृषि और किसान कल्याण	09.03.2016	02 - 28
3.	देश में व्याप्त सूखा और लू की स्थिति तथा परिणामी जल संकट तथा सरकार द्वारा किए गए निवारक उपाय। (श्री ए.यू. सिंह देव)	कृषि और किसान कल्याण तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण	27.04.2016	03 - 49
4.	अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकोप्टर सौदे में रिश्वत और भ्रष्टाचार का आरोप। (श्री भुपेन्द्र सिंह यादव)	रक्षा	04.05.2016	05 - 19
5.	देश के विभिन्न भागों में दलितों पर अत्याचार की ताजा घटनाएं। (श्री शरद यादव)	गृह	21.07.2016	06 - 14
6.	कश्मीर घाटी में अहिंसा और अशांति की हाल की घटनाएं जो जान और माल के बड़े नुकसान का कारण बनी। (श्री गुलाम नबी आजाद)	गृह	18.07.2016	03 - 36
7	देश में मूल्य वृद्धि (श्री डेरेक ओ ब्राईन)	उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण	27.07.2016	03 - 36
8	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन की स्थिति और आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में 20 फरवरी, 2014 को सदन में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन। (श्री जयराम रमेश)	वित्त	28.07.2016 29.07.2016	04 - 54
9	उत्तराखंड और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में घटनाएं जो वहां सरकार बदलने का कारण बनी और अपने–अपने राज्यों में राज्यपाल की भूमिका। (श्री आनंद शर्मा)	गृह	04.08.2016	03 - 23
10	मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 (श्री सीताराम येचूरी)	मानव संसाधन विकास	11.08.2016	02 - 58
11	कश्मीर घाटी में व्याप्त स्थिति। (श्री गुलाम नबी आजाद)	गृह	10.08.2016	05 - 48

ध्यानाकर्षण प्रस्तावः-

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1	दिल्ली में कानून और व्यवस्था का पूरी तरह चरमराना जैसा कि हाल ही में देखा गया। (श्री आनंद शर्मा)	**गृह**	25.02.2016	01 - 20
2	केंद्र सरकार के एक मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संविधान और पद की शपथ का उल्लंघन करते हुए दिए गए भड़काऊ भाषण तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया। (श्री गुलाम नबी आजाद)	**गृह**	03.03.2016	01 - 40
3	सरकार द्वारा सोने के आभूषणों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अधिरोपण जो देश में जौहरियों के बीच आक्रोश का कारण बना। (श्री राज बब्बर)	वित्त	28.04.2016	01 - 06
4	देश के विभिन्न भागों में पशु व्यापारियों के विरूद्ध लगातार अहिंसा की घटनाएं। (श्री तपन कुमार सेन)	**गृह**	05.05.2016	01 - 17
5	देश में, विशेषकर ओडिशा में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा किए गए निवारक उपाय। (श्री ए.यू. सिंह देव)	**गृह**	19.07.2016	01 - 44
6	ओडिशा में किसानों को प्रभावित करते हुए महानदी पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैराज का निर्माण कार्य। (श्री दिलीप कुमार टिर्की)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	26.07.2016	01 - 05
7	देश में औषधी मूल्य नीति के न होने के कारण आवश्यक दवाओं की उच्च कीमतें। (श्री नरेश अग्रवाल)	रसायन और उर्वरक	28.07.2016	01 - 15
8	कर्मचारी भविष्य निधि से शेयर बाजार में रकम का कथित विचलन। (श्री अहमद पटेल)	श्रम और रोजगार	02.08.2016	01 - 25
9	उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में गतिरोध से उत्पन्न स्थिति। (श्री विवेक कुमार तंखा)	विधि और न्याय	09.08.2016	01 - 43

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
			घंटे मिनट
1	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	03.05.2016	04 - 39
2	**मानव संसाधन विकास**	05.05.2016	05 - 29

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचार करने और पारित करने हेतु सूची में शामिल किए गए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 04.02.2016, 16.03.2016, 19.05.2016, 29.06.2016, 23.08.2016 (दस्तावेजों के परिचालन के माध्यम से), 13.10.2016 और 16.12.2016 को सात बैठकें आयोजित की। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 4 फरवरी, 2016, 29 जून, 2016 और 13 अक्तूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठकों में वर्ष 2016 के लिए क्रमशः बजट, मानसून और शीतकालीन सत्रों को बुलाने के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 4 फरवरी, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में (i) बजट सत्र, 2016 को बुलाने, (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/संकल्पों के अनुसमर्थन के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 29 अप्रैल, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में (i) संसद के दोनों सत्रों का उनके अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के पश्चात सत्रावसान और (ii) सोमवार, 25 अप्रैल, 2016 को संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 23 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी बैठक (दस्तावेजों के परिचालन के माध्यम से) (i) संसद के दोनों सत्रों के सत्रावसान (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/संकल्पों के अनुसमर्थन के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 16 दिसंबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में (i) संसद के दोनों सत्रों के सत्रावसान (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/संकल्पों के अनुसमर्थन के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

5.5 दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, गैर–सरकारी सदस्यों के दो सौ पंद्रह विधेयक (167 विधेयक लोक सभा में और 48 विधेयक राज्य सभा में) पुररूस्थापित किए गए (परिशिष्ट–6)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर–सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :–

दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 (श्री जनार्दन सिंह 'सिग्रीवाल', संसद सदस्य)	13.03.2015 24.04.2015 08.05.2015 07.08.2015 04.12.2015 18.12.2015 26.02.2016	वापस लिया गया

2.	विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में (श्री बैजयंत पांडा, संसद सदस्य)	26.02.2016 11.03.2016 29.04.2016	चर्चा पूरी नहीं हुई।
3.	संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री विंसेंट एच. पाला, संसद सदस्य)	05.08.2016	चर्चा पूरी नहीं हुई।
	राज्य सभा		
1.	पैथोलोजिकल प्रयोगशालाएं और क्लीनिक्स (विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, 2016 (श्री जवाहरलाल दर्डा, संसद सदस्य)	26.02.2016	वापस लिया गया
2.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (श्री विशंभर प्रसाद निषाद, संसद सदस्य)	24.04.2015 04.12.2015 26.02.2016	अस्वीकृत किया गया
3.	स्व–वित्त पोषित वृत्तिक शैक्षिक संस्थान (केंद्रीय और विनियमन) विधेयक, 2015 (श्री के.के. रागेश, संसद सदस्य)	11.03.2016	वापस लिया गया
4.	आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015 (डॉ. के.वी.पी. रामचंद्र राव, संसद सदस्य)	11.03.2016 29.04.2016 05.08.2016	आस्थगित कर दिया गया।
5.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (श्री तिरूची शिवा, संसद सदस्य)	05.08.2016	चर्चा पूरी नहीं हुई।

दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई।	11.12.2015 06.05.2016 29.07.2016	चर्चा पूरी नहीं हुई।
	राज्य सभा		
1.	श्रीमती रजनी पाटिल, संसद सदस्य द्वारा देश में महिलाओं के लिए कल्याणकारी उपाय।	06.05.2016	वापस लिया गया
2.	श्री डी. राजा, संसद सदस्य द्वारा मृत्युदंड को समाप्त किए जाने तक सभी प्रकार के मृत्युदंडों के कार्यान्वयन अभिस्थगन घोषित करना।	06.05.2016 29.07.2016	अस्वीकृत किया गया
3.	श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा बी.ओ.टी. (निर्माण, प्रचालन और अंतरण) और ई.पी.सी. (इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और विनिर्माण) के तहत सड़क परियोजनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में आने वाले सभी अवरोधों को समाप्त करने के लिए तत्काल और ठोस कदम।	29.07.2016	चर्चा पूरी नहीं हुई
4.	श्री रंगासायी रामाकृष्णा, संसद सदस्य द्वारा सभी राज्यों में पंचायत और उच्च सदन के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 169 में संशोधन।	25.11.2016	चर्चा पूरी नहीं हुई

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2016 के दौरान पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुररूस्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
(ख) राज्य सभा में पुररूस्थापित विधेयक		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	श्री प्रह्लाद सिंह द्वारा पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए।	10.4.2003
2.	श्री निशिकांत दुबे द्वारा कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम।	11.12.2015

अध्याय - 6
अश्वासनों की मानीटरिंग

एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रियों द्वारा लोक सभा में 983 आश्वासन और राज्य सभा में 967 आश्वासन दिए गए।
- लोक सभा में दिए गए 1247 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 832 आश्वासन, जोकि प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षों से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए है।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 68 आश्वासन और राज्य सभा में 49 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी आश्वासन दे देते हैं कि इन मामलों पर उचित कार्रवाई की जाएगी अथवा अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होता है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भी भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में रखी जाती है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दे दी जाती हैं।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 983 आश्वासन दिए गए थे जिनमें से 201 सभा-पटल पर रखे गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं छोड़ा गया और शेष 782 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 1315 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (68 आंशिक सहित), को सभा पटल पर रखा गया। इसी प्रकार राज्य सभा में दिये गये 967 आश्वासनों में से 384 सभा-पटल पर रखे गए, एक को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ दिया गया तथा शेष 582 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 881 आश्वासनों के कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (49 आंशिक सहित), को सभा-पटल पर रखा गया। वर्ष 1956 से 2016 के दौरान दिये गए/पूरे किए गए/छोड़े गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष रहे आश्वासनों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	1543	1543	-	1543	-	100
1957	893	893	-	893	-	100
1958	1324	1324	-	1324	-	100
1959	1138	1138	-	1138	-	100
1960	1000	1000	-	1000	-	100
1961	1244	1244	-	1244	-	100
1962	1333	1333	-	1333	-	100
1963	781	781	-	781	-	100
1964	883	883	-	883	-	100
1965	1073	1073	-	1073	-	100
1966	1542	1542	-	1542	-	100
1967	2116	2116	-	2116	-	100
1968	4174	4174	-	4174	-	100
1969	4260	4260	-	4260	-	100
1970	3331	3331	-	3331	-	100
1971	1824	1824	-	1824	-	100
1972	1577	1577	-	1577	-	100
1973	1757	1757	-	1757	-	100
1974	1789	1789	-	1789	-	100
1975	925	925	-	925	-	100
1976	521	521	-	521	-	100
1977	889	889	-	889	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	1069	1069	-	1069	-	100
1980	1105	1105	-	1105	-	100
1981	1587	1587	-	1587	-	100
1982	1541	1541	-	1541	-	100
1983	1726	1726	-	1726	-	100
1984	1284	1284	-	1284	-	100
1985	783	783	-	783	-	100
1986	1098	1098	-	1098	-	100
1987	2616	2616	-	2616	-	100
1988	1171	1171	-	1171	-	100

1989	1867	1867	-	1867	-	100
1990	2396	2396	-	2396	-	100
1991	1674	1674	-	1674	-	100
1992	2195	2195	-	2195	-	100
1993	1759	1759	-	1759	-	100
1994	2524	2524	-	2524	-	100
1995	1465	1465	-	1465	-	100
1996	700	700	-	700	-	100
1997	2093	2093	-	2093	-	100
1998	1127	1127	-	1127	-	100
1999	748	746	-	746	2	99.73
2000	1721	1717	-	1717	4	99.77
2001	1528	1526	-	1526	2	99.87
2002	1505	1500	-	1500	5	99.67
2003	1407	1401	-	1401	6	99.57
2004	906	894	-	894	12	98.68
2005	1733	1715	-	1715	18	98.96
2006	1073	1051	-	1051	22	97.95
2007	1282	1259	-	1259	23	98.21
2008	1111	1084	-	1084	27	97.57
2009	1313	1253	-	1253	60	95.43
2010	1595	1474	-	1474	121	92.41
2011	1878	1685	-	1685	193	89.72
2012	1943	1720	-	1720	223	88.52
2013	1355	1140	-	1140	215	84.13
2014	1458	1000	-	1000	458	65.59
2015	1327	701	-	701	626	52.83
2016	983	201	-	201	782	21.03
	94218	**91419**	**-**	**91419**	**2799**	**97.03**

राज्य सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5(3+4)**	**6(2-5)**	**7.**
1956	373	373	-	373	-	100
1957	238	238	-	238	-	100
1958	287	287	-	287	-	100

1959	235	235	-	235	-	100
1960	233	233	-	233	-	100
1961	257	257	-	257	-	100
1962	479	479	-	479	-	100
1963	218	218	-	218	-	100
1964	349	349	-	349	-	100
1965	1342	1342	-	1342	-	100
1966	436	436	-	436	-	100
1967	495	495	-	495	-	100
1968	827	827	-	827	-	100
1969	1104	1104	-	1104	-	100
1970	591	591	-	591	-	100
1971	447	447	-	447	-	100
1972	832	832	-	832	-	100
1973	1009	1009	-	1009	-	100
1974	724	724	-	724	-	100
1975	384	384	-	384	-	100
1976	781	781	-	781	-	100
1977	1117	1117	-	1117	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	748	748	-	748	-	100
1980	1391	1391	-	1391	-	100
1981	1688	1688	-	1688	-	100
1982	1466	1466	-	1466	-	100
1983	1472	1472	-	1472	-	100
1984	1082	1082	-	1082	-	100
1985	1315	1315	-	1315	-	100
1986	1295	1295	-	1295	-	100
1987	1810	1810	-	1810	-	100
1988	1705	1705	-	1705	-	100
1989	1420	1420	-	1420	-	100
1990	1642	1642	-	1642	-	100
1991	1678	1678	-	1678	-	100
1992	2052	2052	-	2052	-	100
1993	1544	1544	-	1544	-	100
1994	1261	1261	-	1261	-	100
1995	740	740	-	740	-	100

1996	672	672	-	672	-	100
1997	906	906	-	906	-	100
1998	232	232	-	232	-	100
1999	261	259	-	259	2	99.23
2000	706	703	-	703	3	99.58
2001	382	382	-	382	-	100
2002	677	672	-	672	5	99.26
2003	843	834	-	834	9	98.93
2004	545	540	-	540	5	99.08
2005	1156	1137	1	1138	18	98.44
2006	858	840	2	842	16	98.14
2007	973	948	1	949	24	97.53
2008	678	660	-	660	18	97.35
2009	995	958	2	960	35	96.48
2010	1082	1007	1	1008	74	93.16
2011	1003	927	1	928	75	92.52
2012	1115	998	3	1001	114	89.78
2013	688	579	3	582	106	84.59
2014	1188	903	1	904	284	76.09
2015	907	592	2	594	313	65.49
2016	967	384	1	385	582	39.81
	55556	**53855**	**18**	**53873**	**1683**	**96.97**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए सभी आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को याद दिलाते हुए आश्वासनों की आवधिक समीक्षा की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान के परिणाम के रूप में, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने अपना 27वां, 28वां, 29वां और 30वां प्रतिवेदन दिनांक 16.03.2016 को, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां और 35वां प्रतिवेदन दिनांक 10.05.2016 को, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां और 40वां प्रतिवेदन दिनांक 11.08.2016 को तथा 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, 45वां, 46वां और 47वां प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2016 को लोक सभा को प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 70वां प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2016 को राज्य सभा को प्रस्तुत किया।

अध्याय–7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए–ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए 1103 मामले और राज्य सभा में किए गए 564 विशेष उल्लेख उत्तर के लिए लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 1248 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 218 विशेष उल्लेख किए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 2351 मामलों में से 1103 मामलों के उत्तर दिए जा चुके है और 1248 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 782 विशेष उल्लेखों में से 405 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 377 विशेष उल्लेख लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों के लिए इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रतिदिन अधिकतम 20 मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।

नियम 180 ए–ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यतः सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यतः जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दो सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित सदस्य को

वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 वर्ष 2015 की समाप्ति पर लोक सभा में 1103 मामले तथा राज्य सभा में 564 विशेष उल्लेख लंबित थे। दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान लोक सभा में 1248 मामले और राज्य सभा में 218 मामले उठाए गए, जिससे कि लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों की कुल संख्या 2351 तथा राज्य सभा में किए गए विशेष उल्लेखों की कुल संख्या 782 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2016 तक लोक सभा में 1103 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 1248 मामले लंबित रह गए हैं। जहां तक राज्य सभा में अनुरूप स्थिति का संबंध है, दिनांक 31.12.2016 तक 405 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 377 मामले अभी भी लंबित हैं। इस मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में लंबित मामलों के निपटान को गति देने के लिए दिनांक 07.10.2016 को मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया था।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित शून्य काल के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी–कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र–व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी–कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी–कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी–कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते/ टिप्पणियां करते हैं। तत्पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानतः उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.9.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

7.6 दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 1705 मामले (लोक सभाः 1422 और राज्य सभाः 283) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। इनमें से 57 मामले (लोक सभाः 24, राज्य सभाः 33) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय–8
परामर्शदात्री समितियां

एक झलक

- **विभिन्न मंत्रालयों के लिए 35 परामर्शदात्री समितियाँ कार्य कर रही हैं।**
- **दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 94 बैठकें आयोजित हुई।**

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप–रेखा में उद्‌गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार–विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए थे तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी, और इन दिशा–निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं (परिशिष्ट–7)।

8.3 दिशा–निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:–

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने–अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यतः तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) सदस्यों को एक परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है, यदि उसे किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं – तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंतःसत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4

बैठकें – 3 बैठकें अंतःसत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य होगी।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा–निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और किसी भी अपेक्षित स्पष्टीकरण को देने हेतु बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा–निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप–समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 सामान्यतः लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। सोलहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 35 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं (परिशिष्ट–8)।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय परिशिष्ट–9 में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अतःसत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गईः–

क्र.सं.	मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति का नाम	बैठक की तारीख और स्थान
1.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	28.01.2016 को भुवनेश्वर, ओडिशा
2.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	01.02.2016 को सुंदरबन, पश्चिम बंगाल
3.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	05.02.2016 को पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
4.	वस्त्र मंत्रालय	12.02.2016 को हैदराबाद, तेलंगाना
5.	कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय	15.02.2016 को उमेअम, मेघालय
6.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	18.02.2016 को देहरादून, उत्तराखंड

7.	कोयला और खान मंत्रालय	19.02.2016 को तिरूपति, आंध्र प्रदेश
8.	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	19.02.2016 को तिरूपति, आंध्र प्रदेश
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	12.04.2016 को मुंबई, महाराष्ट्र
10.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	14.06.2016 को गोवा
11.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	25.06.2016 को गंगटोक, सिक्किम
12.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	23.09.2016 को चौन्नई, तमिल नाडु
13.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	27.09.2016 को शिलाँग, मेघालय
14.	इस्पात मंत्रालय	05.10.2016 को भोपाल, मध्य प्रदेश
15.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	17.10.2016 को मैसूर, कर्नाटक

अध्याय-9
सद्भावना शिष्टमण्डलों में संसद सदस्य

एक झलक
- संसदविदों के एक भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा किया।
- संसदविदों के एक भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने पुर्तगाल और स्पेन का दौरा किया।
- संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश भेजे गए विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों के लिए 10 संसद सदस्यों को नामांकित किया।

9.1 नरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए निरूसंदेह यह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण डलों का आदान–प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अतः संसद सदस्यों तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

9.2 विदेश मंत्रालय तथा संबंधित भारतीय मिशनों के परामर्श से और प्रधानमंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि 10 अप्रैल, 2016 से 20 अप्रैल, 2016 (यात्रा समय सहित) के दौरान सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया में संसदविदों का एक सद्भावना शिष्टमंडल भेजा जाए। शिष्टमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः–

1.	श्री मुख्तार अब्बास नकवी,संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री औरअल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	शिष्टमंडल के नेता
2.	श्री कमलेश कुमार पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा)	भा.ज.पा.
3.	श्री चुन्नीभाई कांजीभाई गोहेल, संसद सदस्य (राज्य सभा)	भा.ज.पा.
4.	श्री राजीव शंकरराव सातव, संसद सदस्य (लोक सभा)	भा.रा.कां.
5.	श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	स.पा.
6.	श्री अनिल यशवंत देसाई, संसद सदस्य (राज्य सभा)	शिवसेना
7.	श्री बलभद्र माझी, संसद सदस्य (लोक सभा)	बी.ज.द
8.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव, संसद सदस्य (लोक सभा)	ते.दे.पा.
9.	श्री विनोद कुमार बोयनापल्ली, संसद सदस्य (लोक सभा)	ते.रा.स.
10.	श्री धनंजय भीमराव महाडीक, संसद सदस्य (लोक सभा)	रा.कां.पा.

9.3 संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए थे:–

1. श्री अफज़ल अमानुल्लाह, सचिव
2. डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव
3. श्री हेशो विल्सन, राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव
4. श्री राजेश कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी (प्रोटोकॉल और कल्याण)

9.4 भारतीय सांसदों का सद्भावना शिष्टमंडल दिनांक 10.04.2016 की शाम को सिंगापुर पहुंचा। राज्य मंत्री, शिष्टमंडल के नेता, दिनांक 11.04.2016 को सुबह सिंगापुर पहुंचे।

9.5 संसदीय शिष्टमंडल ने दिनांक 13.04.2016 को सिंगापुर की संसद का दौरा किया, जहां उन्होंने संसदीय समिति के सत्र को देखा। उन्होंने श्री चार्ल्स चोंग, सिंगापुर संसद के उपाध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक में श्री विक्रम नायर, संसद सदस्य और सिंगापुर–भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष एवं रक्षा तथा विदेशी मामलों संबंधी सरकारी संसदीय समिति के सभापति भी मौजूद थे। उपाध्यक्ष ने बताया कि सिंगापुर का विधानमंडल सिंगापुर गणराज्य की संसद और राष्ट्रपति दोनों से मिलकर बना है। उनकी संसद एक सदनीय है और उसके सदस्यों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त बिना निर्वाचन क्षेत्र वाले संसद सदस्य एवं नियुक्त किए जाने वाले नाम निर्देशित संसद सदस्य होते हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्तर बहुत विशाल है। राज्य मंत्री ने कुछ ही घंटों के समय में मतदान और मतगणना को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की उपयोगिता का भी उल्लेख किया। राज्य मंत्री ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षों के पैनल की भूमिका सहित भारतीय संसद के दोनों सदनों में लागू विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं पर भी विस्तार से बताया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न अन्य मामलों पर भी विचारों का आदान–प्रदान हुआ।

(शिष्टमंडल ने श्री चार्ल्स चोंग, सिंगापुर संसद के उपाध्यक्ष से मुलाकात की)

9.6 संसदीय शिष्टमंडल के लिए डॉ. मोहम्मद मलीकी बिन उसमान, विदेशी और रक्षा मामलों के वरिष्ठ राज्य मंत्री ने सरकारी रात्रिभोज की मेजबानी की। रात्रिभोज के दौरान, दोनों ओर के सदस्यों ने व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मामलों पर चर्चा की। राज्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के अधीन भारत में समावेशी आर्थिक विकास एवं उन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में बात की। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, पूरे देश में मल्टी–लेन एक्सप्रेसवे तथा स्मार्ट सिटीज के निर्माण जैसे कुछ कार्यक्रमों के बारे में मूलभूत सूचना को भी साझा किया गया। उन्होंने भारत–सिंगापुर संबंधों पर चर्चा की और दोनों देशों में सर्वोत्तम पद्धतियों और विकास पर विचारों का आदान–प्रदान किया।

9.7 इससे पहले, संसदीय शिष्टमंडल ने दिनांक 11.04.2016 को आवास और विकास बोर्ड (एच.डी.बी.) गैलरी का दौरा किया। एच.डी.बी. सिंगापुर का सार्वजनिक आवास प्राधिकरण है जिसे सिंगापुर की आवास संपदा की योजना बनाने एवं उसे विकसित करने, गृह निर्माण और सभी के लिए उच्च कोटि के जीवन–यापन का वातावरण बनाने के लिए शहरों को रूपांतरित करने के साथ–साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मौजूदा झुग्गियों और भीड़भाड़ वाले अवैध आवासों को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वच्छ जीवन के हालात उपलब्ध कराने के कार्य सौंपे गए हैं। उसने वर्ष 1965 तक 3 वर्ष से भी कम अवधि में 21000 फ्लैट बनाकर सौंप दिए थे। इसकी स्थापना के एक दशक के भीतर वे 54000 फ्लैटों का निर्माण कर चुके थे। सिंगापुर का सार्वजनिक आवास प्राधिकरण आज पूरे देश को आवास उपलब्ध करा चुका है, पूरे द्वीप पर 23 शहरों और 3 संपदाओं में 10 लाख से भी अधिक फ्लैटों का निर्माण किया गया है। आवास और विकास बोर्ड के फ्लैट सिंगापुर की 80ः से अधिक निवासी जनसंख्या के घर हैं, 80ः से अधिक जनता गर्व से अपने घर की मालिक है।

9.8 शिष्टमंडल ने दिनांक 11.04.2016 को सस्टेनेबल सिंगापुर गैलरी और मरीना बैराज का भी दौरा किया। मरीना चौनल के मुहाने पर निर्मित मरीना बैराज सिंगापुर का 15वां और शहर के बीचोंबीच पहला जलाशय है। 10,000 हेक्टेयर, या सिंगापुर के आकार के छठवें भाग के जलग्रहण क्षेत्र के साथ, मरीना जलग्रहण द्वीप का सबसे बड़ा और सबसे शहरीकृत जलग्रहण है। दो अन्य नए जलाशयों के साथ मिलकर, मरीना जलाशय ने सिंगापुर के पानी जलग्रहण को देश के भू–क्षेत्र को आधे से बढ़ाकर दो तिहाई कर दिया है।

मरीना बैराज पूर्व मंत्री अनुभवी सलाहकार ली कुआन यू द्वारा करीब दो दशक पहले की दूरदर्शिता का परिणाम है जब उन्होंने ताजा जल का जलाशय बनाने के लिए मरीना चौनल के मुहाने पर बांध बनाने की परिकल्पना की थी।

9.9 शिष्टमंडल ने दिनांक 12.04.2016 को इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नीकल एज्यूकेशन (आई.टी.ई.) कॉलेज सेंटर का दौरा किया। इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नीकल एज्यूकेशन (आई.टी.ई.) शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1992 में स्थापित एक माध्यमिक शिक्षोत्तर संस्थान है। एक प्रमुख आजीविका और तकनीकी शिक्षा प्रदाता तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक कौशल प्रमाणन एवं मानक के मुख्य विकासकर्ता के रूप में, आई.टी.ई. का मिशन रोजगार हेतु योग्यता एवं आजीवन अध्ययन के लिए कौशल, ज्ञान और मान्यता अर्जित करने में विद्यार्थियों एवं वयस्क नवसिखुओं हेतु अवसर पैदा करना है। आई.टी.ई. का सपना आजीविका एवं तकनीकी शिक्षा में अग्रणी बनना है। आई.टी.ई. में आई.टी.ई. मुख्यालय और तीन आई.टी.ई. कॉलेज – कॉलेज सेंट्रल, कॉलेज ईस्ट और कॉलेज वेस्ट शामिल है। आई.टी.ई. के सीईओ ने संस्थान के बारे में विस्तार से बताया। दौरे के दौरान शिष्टमंडल के सदस्यों ने भी गहरी रूचि दिखाई।

(शिष्टमंडल ने सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नीकल एज्यूकेशन (आई.टी.ई.) का दौरा किया)

9.10 शिष्टमंडल ने अवलोकन किया कि:

(i) भारत में नए शहरों विशेषकर स्मार्ट शहरों के विकास में एच.डी.बी. की कुछ विशेषताओं को अपनाया और उनका अनुकरण किया जा सकता है।

(ii) भारत के अनेक हिस्सों में पेयजल की कमी के मद्देनजर विशेषकर सिंगापुर में ताजा जल के सीमित स्रोतों, अर्थात वर्षा या पुनः उपयोज्य बनाए गए जल, के मद्देनजर सिंगापुर की जल प्रबंधन प्रणाली भी विस्तृत अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। वर्षा जल संचयन योजना भी अनुकरणीय है।

(iii) आई.टी.ई. के नमूने को कौशल विकास मंत्रालय द्वारा विशेषकर उद्योग क्षेत्र की परिस्थितियों के समान परिस्थितियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल देने के संबंध में अपनाया जा सकता है। यदि भारत इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है तो हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम में यथेष्ठ योगदान देने के अतिरिक्त कुशल श्रमिकों के लिए दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

9.11 कुछ आकस्मिकताओं के कारण, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री ने अपने दौरे को छोटा कर दिया और वे सिंगापुर से दिनांक 14.04.2016 को वापस भारत लौट आए। यह निर्णय लिया गया कि शिष्टमंडल का नेतृत्व सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य, श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) करेंगे।

9.12 शिष्टमंडल ने दिनांक 14.04.2016 को जकार्ता के लिए प्रस्थान किया। श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) के नेतृत्व में भारतीय संसदविदों का सदभावना शिष्टमंडल दिनांक 14.04.2016 को जकार्ता पहुंचा। शिष्टमंडल ने 14 अप्रैल, 2016 को 1430 बजे संसद की इमारत में महामहिम श्री टैनटोवी याह्या, संसद सदस्य, डी.पी.आर. (दीवान पेरवाकीलां रकयात जो इंडोनेशिया के हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में भी जाना जाता है) से मुलाकात की। श्री याह्या ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध ऐतिहासिक हैं और दोनों राजनीति, व्यापार, संस्कृति और जन–जन के संपर्क के क्षेत्र में दोनों देशों में काफी नजदीकियां हैं। दोनों देश अपने नेताओं द्वारा चित्रित सुनहरी स्याही को नहीं भूल सकते। सदन के कार्यचालन के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि डी.पी.आर. के सदस्य 5 वर्ष (उदाहरणार्थ 2014–2019) के लिए चुने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ अपने सहयोग को मजबूत करना चाहता है।

9.13 श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) और शिष्टमंडल के नेता ने कहा कि शिष्टमंडल भारत की सरकार और जनता से शुभकामनाएं एवं सद्भावनाएं लेकर आया है। दोनों पक्षों के बीच यात्राओं के आदान–प्रदान से यह स्पष्ट है कि दोनों देश मैत्रीपूर्ण संबंधों का लाभ उठाते हैं। विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न दलों के संसद सदस्यों वाले भारतीय शिष्टमंडल दोनों देशों के बीच समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों को आगे बढ़ाने के विशेष प्रयोजन के साथ यहां आए हैं। उन्होंने भारत में संसदीय प्रणाली के कार्यचालन के बारे में प्रकाश डाला।

9.14 श्री अनिल यशवंत देसाई, संसद सदस्य (राज्य सभा) ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध दोनों सरकारों के समर्थन के साथ मित्रता के एक मजबूत जोड़ पर आधारित है और दोनों संसदों को इसे और मजबूत करना चाहिए। व्यापार पर, भारत से निर्यात में विविधता लाने की आवश्यकता है। ताड़ का तेल और कोयला इंडोनेशिया के सकल घरेलू उत्पाद में यथेष्ठ रूप से योगदान देने वाली दो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं और इसलिए दोनों पक्षों को परस्पर समृद्धि के लिए ऊर्जा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इंडोनेशिया सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग में रूचि प्रकट की है और यदि इच्छा हो तो उस संबंध में स्थिति को अद्यतन किया जा सकता है।

9.15 इंडोनेशिया के श्री सत्या वैद्या, संसद सदस्य ने बताया कि इंडोनेशिया की रूचि निवेश को आकर्षित करने की है और वह अनुप्रवाह उद्योग विकसित करने की योजना बना रहा है। इंडोनेशियाई सरकार ने वर्ष 2019 तक 35000 मेगावाट की विद्युत क्षमता के लिए योजना बनाई है। संसद परमाणु ऊर्जा की समर्थक है। इंडोनेशिया उन्नत परमाण ु प्रौद्योगिकी विकसित करना चाहता है और इस पर चर्चा चल रही है। परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा है। श्री बलभद्र माझी, संसद सदस्य के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि 86 प्रतिशत गांवों का पहले ही विद्युतिकरण किया जा चुका है और सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 95 प्रतिशत गांवों का विद्युतिकरण करने का है। यह अधिकतर कोयले और गैस से किया जा रहा है हालांकि जल विद्युत छोटे पैमाने पर उपलब्ध है। इंडोनेशियाई संसद सदस्य सुश्री राहायु सरस्वती ने सामाजिक मुद्दों और बाल अधिकारों के बारे में भी चर्चा की।

9.16 तत्पश्चात 14 अप्रैल, 2016 को 1530 बजे भारतीय सदभावना शिष्टमंडल ने महामहिम श्री इरमान गुसमैन, सभापति, हाऊस ऑफ रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया (डी.पी.डी.) से संसद भवन में मुलाकात की। सभापति, श्री गुसमैन ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की तुलना में एक युवा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया प्रमाणित लोकतंत्र में भारत की योग्यता से लाभ उठाएगा। इंडोनेशिया में लोकतांत्रिक चुनाव वर्ष 1998 में हुए थे। वहां लगभग 10 दल हैं जो डी.पी.आर. में 560 सदस्यों को योगदान कर रहे हैं। वहां डी.पी.डी. में प्रत्येक प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 सदस्यों सहित 132 सदस्य हैं। लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या (140 मिलियन) जावा में संक्रेन्द्रित हैं जिसके बाद 60 मिलियन लोग सुमात्रा में हैं। कालीमंतन खनिज संसाधनों से भरपूर है और टाटा पॉवर की इस द्वीप पर एक बड़ी कोयला खदान है। जावा की तुलना में सुमात्रा और पुआ कम विकसित हैं। सरकार संसाधनों और विकास के न्यायसंगत वितरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हाल ही में स्थापित एशियन इकॉनोमिक कम्यूनिटी से व्यापार, निवेश और लोगों के मुक्त प्रवाह को सरल बनाने की आशा की जाती है।

9.17 श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) और शिष्टमंडल के नेता ने कहा कि दोनों देश बहुलवादी समाज हैं और उनको सहयोग तथा एक–दूसरे के विकास संबंधी अनुभव से सीखना पड़ता है। राज्य सभा और लोक सभा की शक्ति का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि सद्भावना लाने के लिए लोगों की प्रतिभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को युवा पीढ़ी, जो तेज गति से विकास चाहती है, की मांगों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 तक भारत में 85 प्रतिशत आबादी युवा होगी।

9.18 श्री मुहम्मद इकबाल, दक्षिणी सुमात्रा के संसद सदस्य, ने कहा कि सुमात्रा द्वीप बृहत संसाधन संपन्न द्वीपों में से एक है और भारतीय कंपनियां इस द्वीप में निवेश करने पर विचार कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे भारतीय कंपनियों द्वारा ऐसी किसी पहल को सुगम बनाएंगे।

9.19 सभापति, श्री गुसमैन ने श्री बलभद्र माझी, संसद सदस्य (लोक सभा) के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा प्रणाली के संबंध में सूचित किया कि विद्यार्थी 6 वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में, 3 वर्ष कनिष्ठ उच्च विद्यालय में और 3 वर्ष वरिष्ठ उच्च विद्यालय में पढ़ते हैं। 9 वर्ष की स्कूली पढ़ाई के पश्चात, विद्यार्थी वरिष्ठ उच्च विद्यालय या व्यवसायिक शिक्षा में से किसी को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारें शिक्षा के लिए अपने बजट में से 20 प्रतिशत आबंटित करती हैं और उनके यहां साक्षरता दर 95 प्रतिशत है।

9.20 श्री धनंजय भीमराव महाडिक, संसद सदस्य (लोक सभा) ने कहा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। गन्ना किसान तथा चीनी निर्यातक दौरा कर सकते हैं और सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान–प्रदान कर सकते हैं। श्री मुहम्मद इक्बाल, संसद सदस्य ने इस विचार का स्वागत किया और इस संबंध में सहायता करने का प्रस्ताव रखा।

9.21 दिनांक 14.04.2016 की शाम, भारतीय दूतावास ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जन्म की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। महामहिम श्री इरमान गुसमैन, सभापति, रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स काउंसिल (डी.पी.डी.) मुख्य अतिथि थे। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और भारत के संविधान को बनाने में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका के बारे में सूचित किया। शिष्टमंडल के नेता ने भी जनसमूह को संबोधित किया और बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने डॉ. अम्बेडकर के सम्मान में डाक टिकटें और सिक्के जारी किए हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने लंदन में एक इमारत खरीदी है, जहां डॉ. अम्बेडकर ने वर्ष 1921–22 के दौरान लंदन स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान प्रवास किया था। महाराष्ट्र सरकार ने उसे अम्बेडकर स्मारक हाल का रूप दिया है जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा नवंबर, 2015 के दौरान अपनी पिछली लंदन यात्रा के दौरान किया गया था। शीतकालीन सत्र, 2015 के दौरान डॉ. अम्बेडकर के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के समारोह के भाग के रूप में दिनांक 26.11.2015 को 'संविधान दिवस' मनाने के लिए हमारी संसद के दोनों सदनों की दो दिन की विशेष बैठक समर्पित की गई थी। दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से हमारे संविधान के निर्माताओं, विशेषकर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के संदर्भ में, द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए सराहना को अभिलिखित करते हुए संकल्प पारित किए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी नई दिल्ली में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला रखी। आधारशिला रखते समय, प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे संविधान में उल्लिखित है, समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्ग की पूरी सहायता के मनोरथ की वकालत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अधिकारहीन लोगों की आवाज थे। उन्होंने उनका "विश्व मानव" या ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जिसके पास दुनिया के लिए दूरदर्शिता थी।

9.22 भारतीय सद्भावना संसदीय शिष्टमंडल ने 15 अप्रैल, 2016 को 1000 बजे इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय में इंडोनेशिया के उप विदेश मंत्री (वी.एफ.एम.), महामहिम श्री ए.एम. फचीर से भी मुलाकात की। वी.एफ.एम. ने कहा कि दोनों देशों में अनेक जातीय समूहों और विविधता सहित अनेक समानताएं हैं। दोनों देश एन.ए.एम. और जी20 के सदस्य हैं और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाएं हैं। हालांकि इंडोनेशिया भी एक लोकतांत्रिक देश है जिनसे भारत की आजादी के समय ही स्वतंत्रता की उद्घोषणा की थी, फिर भी वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत से सीखना पसंद करेगा। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय रणनीति विकास और राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। इंडोनेशिया पड़ोसियों के साथ सीमाओं पर और सामुद्रिक सीमाओं के परिसीमन पर समझौता वार्ता करने का प्रयास करता है। आर्थिक कूटनीति इंडोनेशिया की विदेश नीति में एक अहम भूमिका निभाती है। इंडोनेशिया भारत सहित कई महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंध विकसित कर रहा है। वहां उच्चतम स्तर से लेकर जन–जन के स्तर तक यात्राओं का आदान–प्रदान हुआ है। आर्थिक कूटनीति की शर्तों के अनुसार, इंडोनेशिया व्यापार और निवेश को बढ़ाने के उपायों पर लगातार गौर कर रहा है। दोनों पक्ष परस्पर लाभकारी आर्थिक संबंधों हेतु ठोस राजनीतिक मान्यताएं प्रस्तुत करने पर कार्य करेंगे।

9.23 श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) और शिष्टमंडल के नेता ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि भारत सरकार का दृष्टिकोण भी इंडोनेशिया की तरह ही है और इंडोनेशिया सहित दक्षिण एशियाई देशों (एस.ई.ए.) के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए वहां उच्चतर स्तर पर राजनीतिक वचनबद्धता है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं और साथ ही साथ दोनों एक प्रकार की ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। व्यापार, संस्कृति, शिक्षा संबंधी समझौतों को एक मजबूत संबंध सृजित करने के लिए मजबूत किए जाने की जरूरत है। रक्षा, सामुद्रिक और दीर्घकालीन विकास में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संभावना के साथ एस.ई.ए. भारत के लिए आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

9.24 श्री अनिल यशवंत देसाई, संसद सदस्य (राज्य सभा) ने उल्लेख किया कि रक्षा और रणनीतिक सहयोग महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सामुद्रिक संबंधों को न केवल एस.ई.ए. में बल्कि पूरे विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण के लिए विकसित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने रक्षा मंत्री के आगामी भारत दौरे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि डी.पी.डी. के सभापति के साथ चर्चा लाभदायक रही जिसके दौरान दोनों पक्षों ने जातीय मुद्दों और विविधता में एकता पर चर्चा की। उन्होंने संसदीय मैत्री समूह का जायजा लिया जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी है।

9.25 श्री धनंजय भीमराव महाडिक, संसद सदस्य (लोक सभा) ने कहा कि इंडोनेशिया को भारत का निर्यात मात्र 4 बिलियन डॉलर है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरूआत भारत में इंडोनेशियाई कंपनियों द्वारा निवेश के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराता है। भारतीय पक्ष भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए क्षेत्रों के बारे में जानना चाहेगा। भारत गन्ना उत्पादन में अपनी विशेषज्ञता का प्रस्ताव पेश कर सकता है।

9.26 भारतीय पक्ष द्वारा टिप्पणी का जवाब देते हुए, उप विदेश मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति जोको विडोडो के भारत दौरे की वर्ष 2016 के उत्तरार्ध में योजना बनाई गई है। उच्च स्तर के दौरों का आदान–प्रदान सहयोग के सभी पहलुओं पर ध्यान देने की महत्ता को दर्शाता है। उन्होंने प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह (ई.पी.जी.) और व्यापार मंच की ट्रेक–[] प्रणाली के बारे में मुख्य बातें बताई। रक्षा सहयोग का एक रणनीतिक क्षेत्र है। चूंकि इंडियन ओशन रिम एसोशिएसन (आई.ओ.आर.ए.), इंडोनेशिया के पीठासीन अधिकारी हिंद महासागर के जल क्षेत्र को साझा करने वाले देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने का समर्थन करेगा। इंडोनेशिया को आई.ओ.आर.ए. समझौते को बढ़ावा देने में भारत के समर्थन की आवश्यकता है। इंडोनेशिया भारत की सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता से लाभ उठाना चाहेगा। भारत समाज की जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने अनुभवों को साझा कर सकता है। इंडोनेशिया प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से न्यायसंगत वितरण और समाज के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के साथ आर्थिक सृजनात्मकता को जोड़ना चाहता है। आर्थिक सहयोग हेतु बृहत संभावना मौजूद है जिसका उपयोग किए जाने की जरूरत है। इंडोनेशियाई सरकार ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 11 आर्थिक पैकेज जारी किए हैं। निवेशकों के लाभार्थ निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है। संरचनात्मक ढांचा, विद्युत, संयोजकता और खाद्य सुरक्षा प्रमुख क्षेत्र है जिन पर इंडोनेशियाई सरकार द्वारा ध्यान केंद्रित किए जाना है। यदि भारत इंडोनेशिया के साथ लेन–देन करता है तो वह आसियान क्षेत्र में लगभग 600 मिलियन लोगों के साथ लेन–देन कर सकता है जो अन्य प्रोत्साहन है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में विविधता लाने पर व्यापार मंत्रालय और समन्वयकर्ता आर्थिक कार्य मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे।

9.27 राजदूत ने उल्लेख किया कि विकास में बृहत संभावनाएं प्रदान करना रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सहयोग के विभिन्न तत्वों पर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जे.डी.सी.सी.) में विस्तार से चर्चा की जा सकती है। सामुद्रिक क्षेत्र में, दोनो नौसेना कमान पहले ही सहयोग कर रही हैं। भारतीय नौसैनिक पोत वार्षिक समन्वय रक्षा अभ्यास में प्रतिभागिता करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर, राजदूत ने कहा कि टी.सी.एस. और टैक महिन्द्रा बड़े खिलाड़ी हैं और मानव संसाधन विकास और क्षमता विकास में इंडोनेशिया की सहायता करने के इच्छुक हैं। तथापि, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को लाना प्रतिबंधित है जिसे समाप्त करना जरूरी है।

9.28 शिष्टमंडल ने दिनांक 16.04.2016 को देनपसार बाली के लिए प्रस्थान किया। भारतीय संसदविदों का सदभावना शिष्टमंडल दिनांक 16.04.2016 को देनपसार बाली पहुंचा। शिष्टमंडल ने श्री आई मेड मांग्कू पास्तिका, बाली के गवर्नर से दिनांक 18.04.2016 को मुलाकात की। गवर्नर ने शिष्टमंडल का स्वागत किया। श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) और शिष्टमंडल के नेता ने टिप्पणी की कि उन्हें बाली आने की खुशी है जिसे पं. जवाहर लाल नेहरू ने दुनिया की सुबह (मोर्निंग ऑफ वर्ल्ड) का नाम दिया था। उन्होंने संस्कृति और साहित्य में समानताओं के आधार पर बाली की जनता और भारत की जनता के बीच यथेष्ठ संबंध बनाने की भी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि वे नायपी, मौन दिवस, का पालन करने की बाली की परंपरा से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इस अनोखी प्रणाली का सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। गवर्नर ने शिष्टमंडल को बताया कि नायपी के दिन बाली की जनता चिंतन करती है और किसी भी प्रकार की आग जलाने की अनुमति नहीं होती, कोई प्रकाश नहीं किया जाता और किसी को भी सड़कों पर जाने की अनुमति नहीं होती। श्री अनिल देसाई, संसद सदस्य ने कहा कि प्राचीन समय में, भारत में, ऐसी ही प्रथा का पालन किया जाता था जिसे मौन वृत कहा जाता था। माननीय गवर्नर ने यह भी कहा कि बाली में दो तरह का शासन है, एक औपचारिक और दूसरा पारंपरिक। औपचारिक शासन में जिला, रिजेंसी और प्रांत शामिल हैं, पारंपरिक शासन ज्यादा गांव और समुदाय आधारित है और इस गांव/समुदाय आधारित शासन के अपने नियम, कानून और अपनी नीति है। उन्होंने यह भी बताया कि वहां दो प्रणालियां होने के बावजूद वे पूरी सद्भावना के साथ रहते हैं।

(श्री आई मेड मांग्कू पास्तिका, बाली के गवर्नर से मुलाकात की)

9.29 शिष्टमंडल के नेता ने कहा कि वे बाली में भारतीय समुदाय से मिले हैं और उन्हें समृद्ध देखकर खुश हैं और वे अपनी मूल भारतीय पहचान को खोए बिना बड़े स्तर पर बाली के समाज में सहयोग करने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत कौशल विकास में बाली की सहायता करता रहा है। इस पर गवर्नर ने टिप्पणी की कि वह आई.सी.टी. विकसित करने और अपने लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा कौशल में सहायता चाहेंगे। इस संबंध में शिष्टमंडल के नेता ने भारत सरकार की ओर से समस्त सहायता का वचन दिया।

9.30 तत्पश्चात शिष्टमंडल ने श्री आई. न्योमैन आदि वीरय्यात्मा, सभापति, बाली रिजनल हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मुलाकात की। उन्होंने शिष्टमंडल का स्वागत किया और बताया कि वे इससे पहले दो बार भारत का दौरा कर चुके हैं, जिनमें से एक अवसर कुंभ मेले के दौरान था। उन्होंने बाली हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटिव्स में दल प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। शिष्टमंडल के नेता ने शिष्टमंडल के साथ बाली आने और बाली की जनता के मैत्रीभाव के लिए अपनी खुशी व्यक्त की। सभापति ने टिप्पणी की कि उनके यहां भारी संख्या में लोगों के अभ्यास करने के कारण इंडोनेशिया में योग काफी प्रचलित हो गया है। शिष्टमंडल के नेता ने आशा व्यक्त की कि सभापति आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 को अपना समर्थन देंगे। शिष्टमंडल ने दिनांक 18.04.2016 को कुआलालम्पुर के लिए प्रस्थान किया।

9.31 शिष्टमंडल दिनांक 18.04.2016 को कुआलालम्पुर पहुंचा। भारत के उच्चायुक्त, श्री टी.एस. तिरूमूर्ति ने भारतीय समुदाय के लिए दौरे पर गए संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में रात्रिभोज समारोह की मेजबानी की जिसमें सभी प्रमुख मलेशियाई भारतीय राजनीतिक दलों के नेता और मलेशियाई भारतीय समुदाय के प्रतिष्ठित नेता मौजूद थे। मलेशिया में कुछ भारतीय कंपनियों के व्यापारिक समुदाय के प्रमुख सदस्य भी वहां मौजूद थे। शिष्टमंडल को विभिन्न भारतीय संघों के प्रमुखों से मिलने और मलेशियाई भारतीय समुदाय का सिंहावलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ।

9.32 शिष्टमंडल ने दिनांक 19.04.2016 को मलेशियाई संसद के निचले सदन, दीवान रक्यात के अध्यक्ष, श्री तान श्री दातुक सेरी पंगलीमा पांडीकर आमीन बिन हाजी मुलिया से मुलाकात की। अध्यक्ष ने शिष्टमंडल का स्वागत किया। श्री आईपो बारत, एम.पी. एम. कुलासेखरन और दीवान रक्यात के सचिव दातुक रूजमे बिन्ती हमजा भी मौजूद थे। श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) और शिष्टमंडल के नेता ने भारतीय संसदीय सद्भावना शिष्टमंडल का स्वागत करने के लिए मलेशियाई अध्यक्ष का धन्यवाद किया। उन्होंने भारत की लोक सभा के अध्यक्ष के साथ–साथ भारत की संसद की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की। शिष्टमंडल के नेता ने इस वर्ष जनवरी में सभा

में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन करने पर भारत की ओर से धन्यवाद भी दिया। भारतीय शिष्टमंडल के नेता ने भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक और नजदीकी संबंधों के साथ–साथ दोनों देशों के संसदविदों के बीच गहरे संबंधों का हवाला दिया।

(शिष्टमंडल ने मलेशियाई संसद के निचले सदन, दीवान रक्यात के अध्यक्ष, श्री तान श्री दातुक सेरी पंगलीमा पांडीकर आमीन बिन हाजी मुलिया से मुलाकात की)

9.33 शिष्टमंडल के नेता ने पिछले वर्ष नवंबर में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सफल मलेशिया दौरे का भी हवाला दिया। उन्होंने उनके लिए भारत का दौरा करने के लिए माननीय अध्यक्ष के निमंत्रण को दोहराया। निमंत्रण स्वीकर करते समय, मलेशियाई अध्यक्ष ने कहा कि वे भारत का दौरा करने का इंतजार कर रहे हैं।

9.34 श्री तान श्री मुलिया, मलेशियाई दीवान रक्यात के अध्यक्ष ने अपने पूर्व भारत दौरे और पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी और श्रीमती मीरा कुमार सहित विभिन्न भारतीय सांसदों के साथ अपनी बातचीत को याद दिलाया। उन्होंने इसी वर्ष पूर्व में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के दौरे पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सी.पी.ए.) के संदर्भ में भारत मलेशिया के लिए प्रोत्साहन का स्रोत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को सी.पी.ए. की एकता और मलेशिया के समर्थन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। वे राष्ट्रमंडल संसदीय मंच में विभाजन से निपटने के लिए भारत के नेतृत्व में 'दक्षिण' के देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर काफी स्पष्ट थे। उन्होंने सी.पी.ए. में विभाजक राजनीति करने के लिए यू.के. और आस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी देशों का नाम लेने में भी संकोच नहीं किया।

9.35 श्री तान श्री मुलिया ने माननीय अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन की सराहना की, जिनसे उनकी 9–13 जनवरी, 2016 के दौरान कोटा किनाबालू, सभा में आयोजित राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समय भेंट हुई थी। मलेशियाई अध्यक्ष ने यह कहते हुए भारत और मलेशिया के बीच पुराने और मैत्री संबंधों का अभिवादन किया और कहा कि भारत के साथ हमारे विशेष संबंध हैं। उन्होंने चीन की मौजूदगी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की जो पूरी दुनिया में दृढ़ता से महसूस की जा रही है। उन्होंने जोड़ा कि चीन ने रणनीतिक रूप से विभिन्न देशों में निवेश किया है और ज्यादातर अफ्रीकी मदद चीन की ओर से की जा रही है और कहा कि इस प्रकार का आर्थिक निवेश कभी–कभी छोटे देशों की लोकतांत्रिक पद्धतियों से समझौता करता है।

9.36 मलेशियाई अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि वह संसदीय मामलों के कार्यचालन, बजट और पद्धतियों के लिए भारत की ओर देखते हैं। दोनों नेताओं ने दोनों संसदों के कार्यचालन और वहां अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में अपने अनुभव साझे किए और इस बात पर सहमत हुए कि एक–दूसरे के अनुभव से सीखने के लिए काफी कुछ है। भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना करते समय, उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश लोकतंत्र की शर्तों और परिभाषा का निर्धारण करते हैं जोकि सही नहीं है (उदाहरणार्थ समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों पर उनकी स्थिति)। इसलिए उन्होंने जोड़ा कि मलेशिया को लोकतंत्र के उनके नमूने पर समस्या है। उन्होंने उल्लेख किया कि पश्चिमी देशों को मलेशिया की समस्याओं को समझना चाहिए और मलेशिया उनके जैसा नहीं हो सकता। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनके यहां संविधान पर आधारित लोकतंत्र है। इस संदर्भ में, उन्होंने पुनः भारतीय लोकतंत्र की सराहना की और कहा कि हालांकि भारतीय लोकतंत्र को वर्तमान में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है परंतु फिर भी भारत दिन–प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है।

9.37 शिष्टमंडल के नेता ने सी.पी.ए. की एकता पर उनकी चिंता की प्रशंसा की और कहा कि वे उनके विचारों से माननीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास और उन्नति हासिल करने के लिए नई गति तथा इस प्रक्रिया में प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा निभाई जा सकने वाली संभावित भूमिका पर भी शिष्टमंडल के नेता द्वारा बल दिया गया। दोनों नेताओं के बीच उपहारों के आदान–प्रदान के साथ बैठक मैत्रीपूर्ण ढंग से समाप्त हुई।

9.38 बाद में भारतीय शिष्टमंडल ने संसदीय सौध में दीवान रक्यात सचिव दातुक रूजमी बिन्ती हामजा की मेजबानी में अपने दोपहर के भोजन से पहले सीनेट के चालू सत्र का अवलोकन भी किया। दोपहर के भोजन के दौरान, संस्कृति, भारतीय फिल्म उद्योग, शिक्षा, चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग इत्यादि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

9.39 सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 20.04.2016 को ताबुंग हाजी का दौरा किया और दातो' जॉन बिन अब्दुल्लाह, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दार्तो' आदी अजुआन अब्दुल गनी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और दातुक रोजिदा उमर, मुख्य प्रचालन अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने अपने संगठन और हज यात्रा के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने हज यात्रा को सरल बनाने में अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने हज के लिए नामांकन और पंजीकरण प्रणाली और अपने निधि प्रबंधन अवधारणा को भी स्पष्ट किया।

9.40 भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने मलेशिया की नई प्रशासनिक राजधानी पुत्र जाया सहित विभिन्न रूचिकर स्थानों का दौरा भी किया। भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल के दौरे को स्थानीय प्रेस में विस्तृत रूप से कवर किया गया।

9.41 शिष्टमंडल ने दिनांक 20.04.2016 को कुवालालम्पुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और उसी दिन 2130 बजे दिल्ली पहुंचा।

9.42 दौरा काफी सफल और संतोषजनक रहा तथा शिष्टमंडल का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। शिष्टमंडल ने मेजबान देश पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। दोनों पक्षों के बीच विचारों और धारणाओं का मुक्त और उपयोगी आदान–प्रदान हुआ और वे एक बेहतर दुनिया के लिए साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हुए।

9.43 विदेश मंत्रालय तथा पुर्तगाल और स्पेन में संबंधित भारतीय मिशनों के परामर्श से और प्रधानमंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि 16 से 23 अक्तूबर, 2016 (यात्रा समय सहित) के दौरान पुर्तगाल और स्पेन में संसदविदों का एक सद्भावना शिष्टमंडल भेजा जाए। शिष्टमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः–

1.	**श्री अनंतकुमार,** संसदीय कार्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री	**शिष्टमंडल के नेता**

संसद सदस्य

2.	श्रीमती ज्योति धुर्वे, संसद सदस्य (लोक सभा)	भा.ज.पा.
3.	श्री अमर शंकर साबले, संसद सदस्य (राज्य सभा)	भा.ज.पा.
4.	श्री के.सी. वेनुगोपाल, संसद सदस्य (लोक सभा)	भा.रा.कां.
5.	श्री कल्याण बनर्जी, संसद सदस्य (लोक सभा)	अ.भा.तृ.कां.
6.	श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा)	बी.ज.द
7.	श्री नीरज शेखर, संसद सदस्य (राज्य सभा)	स.पा.
8.	श्री श्रीनिवास केसिनेनी, संसद सदस्य (लोक सभा)	ते.दे.पा.
9.	श्री चंद्रकांत भाउराव खैरे, संसद सदस्य (लोक सभा)	शिवसेना
10.	श्री सी.पी. नारायणन, संसद सदस्य (राज्य सभा)	भा.क.पा.(मा.)
11.	श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी, संसद सदस्य (लोक सभा)	ते.रा.स.
12.	श्री संतोष कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा)	ज.द.(यू.)

अधिकारी

1. डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव
2. श्री शिवानंद, मंत्री के विशेष कार्याधिकारी
3. श्री एस.एस. पात्र, अवर सचिव
4. श्री राजेश कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी (प्रोटोकॉल और कल्याण)
5. श्री प्रभात कुमार त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी

9.44 भारतीय संसदविदों का सदभावना शिष्टमंडल दिनांक 16.10.2016 को लिस्बन, पुर्तगाल पहुंचा। 16 अक्तूबर, 2016 को पुर्तगाल में आगमन के पश्चात भारतीय संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडल के सम्मान में कास्काइस के मेयर, डॉ. कार्लोस केरेइर्स द्वारा कास्काइस सिटी हॉल में एक सरकारी स्वागत समारोह आयोजित किया गया। माननीय मेयर ने शिष्टमंडल का स्वागत किया और दोनों राष्ट्रों की साझा संस्कृति के बारे में बोले। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और शिष्टमंडल के नेता, श्री अनंतकुमार ने बताया कि दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और इस प्रकार शिष्टमंडल और बोर्ड के सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय राजनीतिक वर्णक्रम के विभिन्न प्रदेशों और वर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य और उनके प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय मेलजोल के लिए काफी उत्सुक हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में भी बात की। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार का दृष्टिकोण पुर्तगाल के समान ही है और पुर्तगाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए उच्चतम स्तर पर एक राजनीतिक वचनबद्धता है। मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए व्यापार, संस्कृति, शिक्षा संबंधी समझौतों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। बाद में शिष्टमंडल ने पॉला रेगो संग्रहालय, कास्ट्रो ग्यूमारेइज के काउंट्स के संग्रहालय, ग्युनको और काबो दा रोका का भी दौरा किया। शाम को भारत के राजदूत ने शिष्टमंडल के लिए रात्रिभोज की मेजबानी की।

9.45 17 अक्तूबर, 2016 को शिष्टमंडल ने पुर्तगान के संसदीय मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (एस.ओ.एस.) डॉ. पेड्रो नूनो सांटोस के साथ बैठक की। एस.ओ.एस. ने बताया कि उनकी संसद एक सदनीय है। एस.ओ.एस. ने यह भी विस्तार से बताया कि जब कोई सदस्य 35000 पंजीकृत मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित विधेयक प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति उसकी जांच करते हैं और यदि स्वीकृत हो जाए तो उसे विचार के लिए एक विशेष समिति के पास भेजा जाता है।

इसके पश्चात सामान्य सिद्धांतों पर वाद–विवाद होता है जिसका आयोजन सदैव पूर्ण बैठक में होता है और समापन सामान्य सिद्धांतों पर मतदान के साथ होता है। चर्चा दोनों देशों में प्रचलित विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं पर और समानताओं एवं मतभेदों पर केंद्रित होती है। माननीय मंत्री ने एस.ओ.एस. को श्री अंटोनियो गुतरस, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री के संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत को विश्वास है कि श्री गुतरस के प्रबंधन के अधीन वैश्विक निकाय कारगर ढंग से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करेगा। माननीय मंत्री ने भारत में अपनाई जा रही संसदीय प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला। श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा), बी.ज.द. ने संसदीय स्थायी समितियों और लेखा समिति के बारे में विस्तार से बताया। सभी प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप में चर्चा में भाग लिया। पुर्तगाल पक्ष द्वारा शून्यकाल पद्धति का सुस्वागत किया गया। शाम को शिष्टमंडल ने राधा कृष्ण मंदिर का दौरा किया जहां भारतीय समुदाय ने शिष्टमंडल के सम्मान में रात्रिभोज की मेजबानी की।

9.46 18 अक्तूबर, 2016 को पुर्तगाल गणराज्य की सभा के अध्यक्ष, डॉ. फेर्रो रोडरिग्स के साथ बैठक की गई। सर्वप्रथम सभा के माननीय अध्यक्ष ने बताया कि कालीकट में वास्को डी गामा के आगमन के साथ शुरू हुए संबंध पांच सदियों से भी अधिक पुराने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों ने अपनी विरासत और संस्कृतियों को अच्छी तरह संभाला है और अनेकता की स्थिति में विश्वास किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप में पुर्तगाल सबसे बड़े भारतीय समुदाय का घर है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन, आतंक के विरूद्ध लड़ाई और अभूतपूर्व प्रवासी संकट का सामना करते हैं जिनसे साथ मिलकर निपटा जा सकता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और शिष्टमंडल के नेता ने, सभा के अध्यक्ष को उनका हार्दिक स्वागत के लिए धन्यवाद देने के दौरान सभा के अध्यक्ष श्री अंटोनियो गुतरस, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री के संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव चुने जाने पर बधाई दी। मंत्री ने बताया कि भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाला यूरोप का पहला देश पुर्तगाल है। मंत्री ने कहा कि वे अगले 500 वर्ष आगे के बारे में सोचते हैं जहां दोनों देश गैर–नवीकरणीय ऊर्जा, सुरक्षित पेयजल, संरचनात्मक ढांचे और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री महामहिम श्री अंटोनियो कोस्टा जनवरी, 2017 के दौरान प्रवासी भारतीय दिवस, 2017 में मुख्य अतिथि के रूप में बेंगलूरू का दौरा करेंगे। वे संसद सदस्य के रूप में भारतीय संसद में निरंतर 6 बार से भारत की सिलिकॉन वेली के रूप में जाने जाने वाले बेंगलूरू का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उन्हें दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय व्यापार तथा सांस्कृतिक पहलुओं सहित दूसरे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर काम करने के लिए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार संभावना से कम है और व्यापार को कई गुणा बढ़ाने की गुंजाइश है। इसके बाद भारत–पुर्तगाल संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ दोपहर के भोजन सहित बैठक हुई जहां दोनों संसदों के सदस्यों को अलग–अलग हर किसी के साथ संवाद करने का अवसर मिला। शाम को संसदीय कार्य मंत्री ने पुर्तगाल की प्रतिष्ठित शख्सियतों जिनमें पुर्तगाल सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल थे, के लिए रात्रिभोज की मेजबानी की जहां द्विपक्षीय हितों/महत्व के विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान हुआ।

शिष्टमंडल ने पुर्तगाल गणराज्य की सभा के अध्यक्ष, डॉ. फेरो रोडरिग्स से मुलाकात की

9.47 चूंकि मंत्री जी को 19–20 अक्तूबर, 2016 को जर्मनी में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से संबंधित किसी अन्य कार्य को देखना था इसलिए उस दौरान शिष्टमंडल का नेतृत्व वरिष्ठतम संसद सदस्य श्री भर्तृहरि महताब द्वारा किया गया। 19 अक्तूबर, 2016 को यूरोपीय मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डॉ. मारग्रीडा मारग्यूज के साथ एक बैठक की गई। शिष्टमंडल ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एन.एस.जी.) में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन सहित भारत और यूरोपीय यूनियन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। यूरोपीय यूनियन और भारत पर ब्रेक्सिट के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। उन्हें विश्वास था कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बावजूद ब्रिटेन के साथ सदैव उनके (यूरोपीय यूनियन के) विशेष संबंध रहेंगे और इस प्रकार भारत –यूरोपीय यूनियन के आर्थिक संबंधों पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9.48 शिष्टमंडल ने दिनांक 19.10.2016 को मैड्रिड (स्पेन) के लिए प्रस्थान किया और शाम को वहां पहुंचा। 20 अक्तूबर, 2016 को शिष्टमंडल ने श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा), बी.ज.द. के नेतृत्व में कांग्रेस की विदेशी मामलों संबंधी समिति से संबंध रखने वाले स्पेन के संसद सदस्यों के साथ बैठक करने के लिए स्पेन की संसद (कांग्रेस) के निचले सदन का दौरा किया। सुश्री रोजा मारिया रोमीरो सांचेज, कांग्रेस की उपाध्यक्ष ने स्पेन के पक्ष का नेतृत्व किया। श्री जीसस पोसादा, विदेशी मामलों संबंधी समति के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद थे। दोपहर बाद नियत पूर्ण–सत्र के कारण कांग्रेस में बहुत व्यस्त दिन होने के बावजूद, भारतीय संसद सदस्यों और स्पेन में उनके समकक्षों के बीच एक परस्पर दिलचस्प संवाद हुआ। बैठक में मौजूद स्पेन के संसद सदस्य भिन्न संसदीय समूहों (राजनीतिक दलों) से संबंधित थे और उतने ही विविधतापूर्ण थे जितने कि उनके सामने शिष्टमंडल के भारतीय संसद सदस्य थे। संक्षिप्त परिचय के पश्चात सदस्यों ने अपनी संसदीय प्रणालियों में समानताओं पर चर्चा की। यह देखते हुए कि द्विपक्षीय संबंधों की गति पिछले वर्षों में बहुत गहन हो गई है, माननीय संसद सदस्य श्री भर्तृहरि महताब ने विस्तारपूर्वक बताया कि भारत स्पेन के साथ संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। उन्होंने लगभग 5 मिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार पर भी टिप्पणी की जो संभावना से पर्याप्त रूप से कम रहा, विशेषकर जब दोनों पक्षों के पास क्षमता और समकालीन आवश्यकताएं थी। उन्होंने यह भी कहा कि संरचनात्मक ढ़ांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, हाई स्पीड रेलवे, स्मार्ट शहरों, कचरा प्रबंधन और जलोपचार जैसे क्षेत्रों में स्पेन के पास विश्व श्रेणी की प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता

मौजूद है जिन सभी में हमारी विशेष रूचि है। उन्होंने स्पेन पक्ष को 'मेक इन इंडिया' जैसी साहसिक परियोजना और स्मार्ट शहर परियोजना के बारे में भी बताया। उन्होंने इस वर्ष भारतीय दूतावास के समृद्ध सांस्कृतिक कलैंडर के बारे में विस्तार से बताया जहां स्पेन के दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त भारतीय कलाकारों द्वारा विश्व श्रेणी के संगीत और नृत्य प्रस्तुति का आनंद लेने का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद स्पेन की विदेशी मामलों संबंधी समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने भारत–स्पेन संबंधों के बारे में अपने–अपने दल के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त वक्तव्य दिए। यह देखना दिलचस्प था कि स्पेन में मौजूद सभी विभिन्न राजनीतिक दल भारत के साथ और अधिक संबंध बनाने का दावा करने की प्रतियोगिता कर रहे थे।

9.49 तत्पश्चात शिष्टमंडल ने कास्टील्ले लियोन के स्पेनिश राज्य (क्षेत्र) की राजधानी वाल्लाडोलिड के लिए प्रस्थान किया। वाल्लाडोलिड शहर भारत–स्पेन संबंधों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में, कासा द ला इंडिया की सहायता के माध्यम से और फ्लेमेंको इंडिया, फिल्म समारोह और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसी अन्य परियोजनाओं के माध्यम से भी वाल्लाडोलिड एक महत्वपूर्ण साझीदार रहा है। इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 60 वर्षों को मनाने के भाग के रूप में और भी गहरा सहयोग रहा है। यहां पहली बैठक वाल्लाडोलिड के मेयर, महामहिम श्री ऑस्कर पियूंटे के साथ हुई थी। बैठक में स्पेन में भारत की सांस्कृतिक पहुंच को आसान बनाने में वाल्लाडोलिड के योगदान को दर्शाने पर केंद्रित थी। मेयर ने उल्लेख किया कि वाल्लाडोलिड और अहमदाबाद के शहर विरासत प्रबंधन, पर्यटन और स्मार्ट शहर सहयोग पर केंद्रित रहते हुए एक जुड़वां करार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं और इस करार पर शीघ्र ही निर्णय और हस्ताक्षर होने की आशा की जाती है। प्रौद्योगिक, शिक्षुता और सामाजिक क्षेत्रों में स्पेन–भारत स्मार्ट शहर सहयोग के लिए अत्यधिक संभावना पर भी प्रकाश डाला गया।

9.50 मेयर के साथ बैठक के पश्चात शिष्टमंडल ने क्षेत्रीय संसद (राज्य विधानसभा), वाल्लाडोलिड का दौरा किया और कास्टीले वाई लियोन की क्षेत्रीय संसद की अध्यक्ष, महामहिम सुश्री सिलवीया क्लेमेंटे म्युनिसियो से मुलाकात की। इस क्षेत्र/प्रांत की संसद या "कोर्टेस" यूरोप की संसदों के प्राचीनतम पूर्वजों में से एक है। सुश्री क्लेमेंटे की ओर से स्वागत भाषण के पश्चात, श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा), शिष्टमंडल के नेता ने इस पर एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया कि कास्टील्ले और लियोन प्रदेश भारत–स्पेन संबंधों को बढ़ावा देने में किस प्रकार एक प्रमुख साझीदार रहा है। वहां कई पहल की गई हैं जिनमें वर्ष 2006 में कासा दे ला इंडिया (इंडिया हाऊस) की इमारत का निर्माण करने में कास्टील्ले और लियोन की सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता शामिल है। ए.आर.एण्ड पी.ए. द्विवार्षिक 2014, जिसमें भारत मुख्य अतिथि देश था, के दौरान विरासत पुनरूर्स्थापन और प्रबंधन के लिए वर्ष 2014 में इनटैक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि कास्टीले और लियोन के प्रदेश में कई आर्थिक क्षेत्र हैं जिनके भारत के साथ संबंध हैं और खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वचालित पुरजों, सूचना प्रौद्योगिकी, औषध, जैवप्रौद्योगिकी, विरासत पुनरूर्स्थापन जैसे क्षेत्रों में और अधिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

9.51 तत्पश्चात शिष्टमंडल ने कासा द ला इंडिया या इंडिया हाऊस, वाल्लाडोलिड का दौरा किया जो भारतीय दूतावास की सहायता करने वाली एक सांस्कृतिक शाखा है और स्पेन में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिसका वित्त पोषण इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, सिटी काउंसिल ऑफ वाल्लाडोलिड और वाल्लाडोलिड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कासा द ला इंडिया के निदेशक, श्री ग्यूलेरमो रोड्रिग्स ने शिष्टमंडल के समक्ष संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों पर बल देते हुए केंद्र के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इसके पश्चात 20वीं सदी की शुरूआत में बनी इमारत जहां कासा स्थित है के परिसर तथा वहां चल रही आई.सी.सी.आर. प्रदर्शनी – 'फार्मस ऑफ डिवोशन' का दौरा किया गया।

9.52 माननीय मंत्री दिनांक 20.10.2016 को 2315 बजे फ्रैंकफर्ट से मैड्रिड पहुंचे और शिष्टमंडल में पुनः शामिल हो गए। 21 अक्तूबर को शिष्टमंडल ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री के नेतृत्व में स्पेन–इंडिया काउंसिल फाउंडेशन (एस.आई.सी.एफ.) के बोर्ड के सदस्यों से मुलाकात की। एस.आई.सी.एफ. को एकल सिविल समाज के मंच पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, भारत को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों के क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक और वाणिज्यिक, शैक्षिक, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित आपसी हितों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्पेन में विविध क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य के साथ स्पेन के विदेश और सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहन

और सहायता प्रदान की जाती है। फाउंडेशन के सदस्यों में स्पेन के विदेश मंत्रालय, व्यापारिक समुदाय, निवेशक मंच और सांस्कृतिक घरानों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल हैं। बोर्ड के सदस्यों ने संक्षिप्त परिचय के पश्चात भारत के संबंध में उनके संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्य का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। स्पेन की नेवंतिया, इंद्रा, गैस नैचुरल फेनोसा, अबेन्गोवा, एक्सीओना जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भारत में अपने प्रचालनों का विवरण दिया जबकि इंस्टीटूटो सेरवांटेस, कासा इंडिया और कासा द ला इंडिया भारत की सांस्कृतिक पहुंच में अपनी भागीदारी के बारे में बोले। संस्थागत रूख़ पर, स्पेन के विदेश कार्यालय, विदेश मंत्रालय की सार्वजनिक राजनयिक शाखा और मैड्रिड की सिटी काउंसिल में भारत से संबंध रखने वाले प्रादेशिक प्रभाग के महानिदेशक ने भारतीय दूतावास के माध्यम से भारत के साथ अपनी गतिविधियों और कार्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया।

'शिष्टमंडल ने स्पेन–इंडिया काउंसिल फाउंडेशन (एस.आई.सी.एफ.) के बोर्ड के सदस्यों से मुलाकात की,

9.53 माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और इस प्रकार शिष्टमंडल और बोर्ड के सदस्यों के बीच विचारों में कोई भिन्नता नहीं थी।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय राजनीतिक श्रेणी के विभिन्न प्रदेशों और वर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय संसद सदस्य और उनके प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय मेलजोल के लिए काफी उत्सुक हैं।

9.54 माननीय प्रधानमंत्री के अधीन राजनीतिक सर्वसम्मति के साथ एक महत्वपूर्ण कर सुधार हुआ है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ी है, लाल फीताशाही पर रोक लगी है और इसलिए भारत में व्यापार करने की सुविधाओं में वृद्धि हुई है – इस प्रकार भारत को एक आकर्षक गंतव्य स्थल बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा की गई पहलों जैसे कि व्यापार, सस्ते कुशल कार्मिकों की उपलब्धता, उच्च विकास दर के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, के मद्देनजर, भारत के साथ व्यापार में निवेश का एक प्रबल कारण मौजूद है। इसके बाद एक प्रश्न–उत्तर सत्र हुआ जिसमें संसद में भारतीय महिलाओं, राज्य सभा और लोक सभा के कार्यचालन में अंतर और संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषाओं संबंधी प्रश्न शामिल थे। बाद वाला संभवतः भारतीय सांसदों को स्पेन में कातालान संकट के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए था, जहां भाषा केटलोनिआ क्षेत्र और शेष स्पेन के बीच मतभेदों पर तनाव का एक साधन बन गई है और इस प्रकार एक अलग राज्य की मांग का कारण बन गई है।

9.55 बाद में शिष्टमंडल ने विदेश और सहकारिता मंत्रालय में विदेशी मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, महामहिम श्री इग्नोशियो यानेज रूबियो (एस.एस.एफ.ए.) से मुलाकात की। श्री यानेज के साथ विदेश मंत्रालय में भारत के साथ संबंधों को देखने वाले प्रादेशिक प्रभाग के डी.जी., विदेशी मामलों के कार्यालय के भारत से सरोकार रखने वाले अंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था/व्यापारिक संबंधों की विंग के डी.जी. और अन्य सदस्य थे। एस.एस.एफ.ए. ने उस वर्ष के

महत्व पर विस्तारपूर्वक बताया क्योंकि भारत और स्पेन राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्षों को मना रहे थे। उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य की राजनीतिक विविधता और परिपक्वता की सराहना करते हुए माननीय संसद सदस्यों के समक्ष देश की राजनीतिक स्थिति पर भी संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने लेटिन अमरीका में भारत के लिए एक प्रवेशद्वार होने के नाते स्पेन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सूचित किया कि फ्रांस और जर्मनी जैसे दूसरे देशों की तुलना में स्पेन के साथ भारत के संबंधों का स्तर कम हो रहा है। मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि उनकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति के लिए उनके पास समाधान है और स्पष्ट किया कि किस प्रकार भारत ने भी ऐसी ही स्थिति का सामना किया है और गठबंधन सरकार के लिए एक प्रणाली विकसित की है जो अपने पूरे कार्यकाल तक टिकी रही और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि स्पेन भारत के अनुभव से सीख सकता है और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर पूरे कार्यकाल तक सरकार चला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य के बीच स्वच्छ ऊर्जा और अवसंरचना के क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं। यह वास्तविकता कि राजनीतिक और प्रादेशिक सीमाओं से ऊपर उठते हुए, वरिष्ठ संसदविदों का एक समूह स्पेन का दौरा कर रहा है, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि भारत स्पेन के साथ संबंधों को बढ़ाने का उत्सुक है। चूंकि स्पेन 2015–16 के लिए यू.एन.एस.सी. का अस्थायी सदस्य है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यू.एन.एस.सी. की स्थायी सदस्यता हेतु भारत के दावे के लिए स्पेन के समर्थन की मांग की। एस.एस.एफ.ए. ने दृढ़तापूर्वक कहा कि स्पेन यू.एन.एस.सी. में पुनर्गठन/सुधारों का तो समर्थन करता है परंत यू.एन.एस.सी. में शामिल किए जाने के लिए किसी देश का समर्थन नहीं करता, वास्तव में वे कुछएक देशों को स्थायी सदस्यता/विशेष दर्जा/वीटो अधिकार के विरूद्ध हैं। वे यू.एन.एस.सी. की सदस्यता के लिए निष्पक्षता के आधार पर चुनाव के विचार का समर्थन करते हैं। श्री नीरज शेखर, संसद सदस्य (राज्य सभा), स.पा. और श्री सी.पी. नारायणन, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.क.पा.(मा.) भी एन.एस.जी., यू.एन.एस.सी. और आतंकवाद से संबंधित कुछ मुद्दों पर बोले। इन दोनों मुद्दों पर स्पेन के पक्ष द्वारा यह विश्वास दिलाते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया कि वे इन मोर्चों पर भारतीय प्रयासों को मान्यता देते हैं। क्षेत्रीय/प्रांतीय स्तर पर निवेश भी बैठक के दौरान कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया दूसरा महत्वपूर्ण विषय था।

'शिष्टमंडल ने विदेशी मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, महामहिम श्री इग्नोशिया यानेज रूबियो से मुलाकात की,

9.56 बाद में शिष्टमंडल ने संसदीय संबंधों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, महामहिम श्री जोस लुइस आईलोन मानसो (एस.एस.पी.आर.) से मुलाकात की। वे कार्यकारी सरकार के दल – पार्टीडो पोपुलर से संबंध रखते हैं। संसदीय संबंध स्पेन की प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से गोबीरनो डी प्रेसीडेंशिया अथवा प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं। यहां परस्पर संवाद काफी रूचिकर और लाभदायक था। एस.एस.पी.आर. ने शिष्टमंडल को दौरे के लिए धन्यवाद दिया और स्पेन में संसदीय

संस्थाओं के कार्यचालन के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। आगे उन्होंने भारत में और स्पेन में संसद की भूमिका के अंतर और समानताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि भारत–स्पेन संबंधों में सुधार लाने के लिए एक ही मंच पर साथ आने के लिए अपनी वैचारिक भिन्नताओं को एक ओर रखने में माननीय संसद सदस्यों का शिष्टमंडल सफल रहा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना सभी राजनीतिक दलों की कार्यसूची में शामिल था। उन्होंने दिसंबर, 2015 से एक अनिश्चय की स्थिति में रहे स्पेन के राजनीतिक गतिरोध पर भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का उदाहरण देते हुए टिप्पणी की जहां वर्ष 1996, 1998 और 1999 में चुनाव कराए गए थे। उन्होंने एस.एस.पी.आर. से वर्तमान बातचीत के लिए सफलता की कामना की और आशा व्यक्त की कि स्पेन की स्थिति जल्द ही स्थिर हो जाएगी। माननीय संसद सदस्यों ने भी स्पेन की प्रणाली में अपनाई जाने वाली समिति प्रणाली/पूर्ण सत्रों पर प्रश्न पूछते हुए अल्पकालिक हस्तक्षेप किया और अपने–अपने राज्यों में गठबंधन पर अपने अनुभव साझा किए।

'शिष्टमंडल ने संसदीय संबंधों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, महामहिम श्री जोस लुइस आईलोन मानसो से मुलाकात की,

9.57 राजनीतिक और व्यापार संबंधी बैठकों से इतर, माननीय प्रतिनिधियों ने मैड्रिड में भारतीय मूल के समुदाय के साथ संक्षिप्त बातचीत की। शिष्टमंडल ने मैड्रिड में स्थापित महात्मा गांधी की मूर्ति का भी दौरा किया और अपनी श्रद्ध ांजलि अर्पित की।

9.58 शिष्टमंडल ने 23 अक्तूबर, 2016 को मैड्रिड से म्युनिख होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और उसी दिन 2300 बजे दिल्ली पहुंचा।

9.59 दौरा काफी सफल और संतोषजनक रहा तथा शिष्टमंडल का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। शिष्टमंडल ने मेजबान देश पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। दोनों पक्षों के बीच विचारों और धारणाओं का मुक्त और उपयोगी आदान–प्रदान हुआ और वे परस्पर लाभ और एक बेहतर दुनिया के लिए साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हुए।

9.60 शिष्टमंडल ने देखा कि स्थानीय निकाय के स्तर पर शासन इन दोनों देशों में काफी मजबूत है और इसने अवसंचना सहित जमीनी स्तर पर विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुर्तगान की सड़कों की अवसंरचना को दुनिया में दूसरी सर्वोत्तम अवसंचना माना जाता है जबकि स्पेन की तकनीकी जानकारी को दुनिया में दूसरे नंबर की माना जाता है। संबंधित मंत्रालय/प्राधिकरण अध्ययन के लिए आगे कदम उठा सकते हैं और यदि जरूरी हो तो इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.61 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 31 संसद सदस्यों (21 राज्य सभा से और 10 लोक सभा से) ने विदेश दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.62 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ–साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता हो, उनके संबंध में गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय–समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्व ारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.63 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा–निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94–मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकारों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

अध्याय -10
युवा संसद योजना

एक झलकः

विभिन्न "युवा संसद प्रतियोगिता" योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गएः–

1) विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016–17 के लिए 4–5 जनवरी, 2016 को शिलाँग में।
2) शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन विद्यालयों के लिए 51वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2016–17 के लिए 21–22 अप्रैल, 2016 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में।
3) केंद्रीय विद्यालयों के लिए 29वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016–17 के लिए केंद्रीय विद्यालय, बैंगलोर, पटना, जयपुर, भुवनेश्वर और पालमपुर में क्रमशः 1–2 अप्रैल, 2016, 4–5 अप्रैल, 2016, 4–5 अप्रैल, 2016 7–8 अप्रैल, 2016 और 10–11 अप्रैल, 2016 को।
4) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 20वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016–17 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, नोएडा और जवाहर नवोदय विद्यालय, पुणे में क्रमशः 18–19 अप्रैल, 2016 और 25–26 अप्रैल, 2016 को।

- दिल्ली विद्यालयों के लिए 50वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2015–16, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 12वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2014–15, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 28वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015–16 और जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015–16 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन क्रमशः 21 जनवरी, 2016, 8 जून, 2016, 1 जुलाई, 2016 और 13 जुलाई, 2016 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में किया गया।
- शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 51वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2016–17 के 4 सर्वोत्तम योग्य विद्यालयों का अंतिम मूल्यांकन 28 अक्तूबर, 2016 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में किया गया।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वर्ष 1966–67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, शील्ड, प्रमाणपत्र और स्मृति–चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

50वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.2 50वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2015–16 का पुरस्कार वितरण समारोह 21 जनवरी, 2016 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली विद्यालयों के लिए 50वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2015–16 के विजेता ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली ने इस अवसर पर उनके युवा संसद सत्र को मंच पर पुनः अभिनीत किया और इस विद्यालय को ''पंडित मोतीलाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती'' प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले विद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को भी प्रमाणपत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए।

'50वीं युवा संसद प्रतियोगिता के अवसर पर ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली के विद्यार्थी,

51वीं युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.3 इस मंत्रालय ने 51वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2016–17 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 21–22 अप्रैल, 2016 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पृष्ठभूमि संबंधी आवश्यक सामग्री वितरित की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा व्याख्यात्मक भाषण दिए गए। 34 विद्यालयों से 68 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों ने इस अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया।

51वीं युवा संसद प्रतियोगिता का अंतिम मूल्यांकन

10.4 वर्ष के दौरान 33 विद्यालयों के बीच 51वीं युवा संसद प्रतियोगिता के मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग्यता क्रम में सर्वोत्तम 4 विद्यालयों का अंतिम मूल्यांकन 28 अक्तूबर, 2016 को किया गया जिसे लोक सभा टी.वी. द्वारा रिकार्ड किया गया।

2. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.5 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। अब तक 28 प्रतियोगिताएं की जा चुकी हैं। वर्तमान में 29वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रगति पर है।

28वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोतगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.6 28वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015–16 का पुरस्कार वितरण समारोह 1 जुलाई, 2016 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री राजीव प्रताप रूडी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। केंद्रीय विद्यालय, सीआरपीएफ, अमेरीगोग, गुवाहाटी को इस अवसर पर नेहरू चल वैजयन्ती प्रदान की गई। चार केंद्रीय विद्यालयों को अपने–अपने अंचलों में उनके योग्य निष्पादन के लिए आंचलिक विजेता की ट्रॉफियां और 20 विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी केन्द्रीय विद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए।

'श्री राजीव प्रताप रूडी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) केन्द्रीय विद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ 1 जुलाई, 2016 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2015–16 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर,

29वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.7 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 29वीं राष्ट्रीय युवा संसद, 2016–17 के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के समन्वय से निम्न प्रकार से पांच अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए:–

(i) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम दक्षिणी अंचल के लिए 1 और 2 अप्रैल, 2016 को केन्द्रीय विद्यालय, रेल व्हील फैक्ट्री, येलहंका, बंगलौर में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात चौन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, एरनाकुलम और जबलपुर से 25 प्रधानाचार्यों, 25 अध्यापकों और सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

(ii) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम पश्चिमी अंचल के लिए 4 और 5 अप्रैल, 2016 को केन्द्रीय विद्यालय नं.1, जयपुर में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, आगरा और रांची से 25 प्रधानाचार्यों, 25 अध्यापकों और सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

(iii) तीसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम केंद्रीय अंचल के लिए 4 और 5 अप्रैल, 2016 को केन्द्रीय विद्यालय, दानापुर कैंट, पटना में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात लखनऊ, पटना, भोपाल, वाराणसी और रायपुर से 25 प्रधानाचार्यों, 25 अध्यापकों और सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

(iv) चौथा अभिविन्यास पाठ्यक्रम पूर्वी अंचल के लिए 7 और 8 अप्रैल, 2016 को केन्द्रीय विद्यालय, नं.6, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात कोलकाता, गुवाहाटी, सिल्चर, तिनसुकिया और भुवनेश्वर से 25 प्रधानाचार्यों, 25 अध्यापकों और सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

(v) पांचवां अभिविन्यास पाठ्यक्रम उत्तरी अंचल के लिए 10 और 11 अप्रैल, 2016 को केन्द्रीय विद्यालय, पालमपुर में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, गुडगांव, जम्मू से 25 प्रधानाचार्यों, 25 अध्यापकों और सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

29वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन

10.8 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 29वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 125 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिताएं पहले अपने–अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गई। तत्पश्चात, 5 आंचलिक स्तर की प्रतियोगिताएं 25 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिता के राष्ट्रीय विजेता की घोषणा की जानी है जिसे जुलाई, 2017 में आयोजित होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में संसदीय चल वैजयन्ती प्रदान की जाएगी।

3. जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.9 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक 19 प्रतियोगिताएं पूरी की जा चुकी हैं। 20वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रगति पर है।

19वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.10 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 13 जुलाई, 2016 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. अहलुवालिया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुनः अभिनीत किया और इस विद्यालय को संसदीय चल वैजयन्ती प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, सात विद्यालयों को भी क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

'श्री एस.एस. अहलुवालिया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ 13 जुलाई, 2016 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए19वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर,

जवाहर नवोदय विद्यालयों में 20वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.11 युवा संसद गतिविधि के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, इस मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय समिति के परामर्श से 20वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016–17 के संबंध में दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से आयोजित किए:–

(i) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 18 और 19 अप्रैल, 2016 को नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय, नोएडा में चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, शिलॉंग क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

(ii) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 25 और 26 अप्रैल, 2016 को जवाहर नवोदय विद्यालय, पुणे में भोपाल, हैदराबाद जयपुर, पुणे क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 20वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन

10.12 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 64 जवाहर नवोदय विद्यालयों में किया गया। प्रतियोगिता पहले अपने–अपने क्षेत्रों में प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर और तत्पश्चात अपने–अपने क्षेत्रों में प्रथम आए विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई। प्रतियोगिता के राष्ट्रीय विजेता की घोषणा अभी की जानी है।

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.13 वर्ष 1997–98 से अब तक पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में कुल 12 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रगति पर है।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 12वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2014–15 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.14 12वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2014–15 का पुरस्कार वितरण समारोह 8 जून, 2016 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री राजीव प्रताप रूडी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री असलम शेर खान, पूर्व संसद सदस्य (लो.स.) ने पुररस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुनः अभिनीत किया और इस विश्वविद्यालय को नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, पांच अन्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को भी ग्रुप स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इन 6 विश्वविद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों/अध्यापकों को भी प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016–17 का मूल्यांकन

10.15 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 55 विश्वविद्यालयों में किया गया। ग्रुप स्तर के मूल्यांकन पूरे हो गए हैं। प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन जल्द ही आयोजित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017–18 का अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.16 प्रतियोगिता का ओरिएंटेशन कोर्स पुडुचेरी में 12–13 जनवरी, 2017 को आयोजित किया गया था।

[विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017–18 का अभिविन्यास पाठ्यक्रम में उद्घाटन भाषण देते हुए श्री राजीव यादव, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय]

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.17 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना चलाई जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान मध्य प्रदेश (वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए), ओडिशा (वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए), पश्चिम बंगाल (वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए), राज्यों को क्रमशः रू.2,80,422/–, रू.4,00,000/– तथा रू.5,00,000/– की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण

10.18 मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिता योजना को आरंभ करने और चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण और साहित्य भी उपलब्ध कराता है। इस प्रयोजन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रधानाचार्यों, प्रभारी अध्यापकों और आयोजकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा आयोजित 'अभिविन्यास पाठ्यक्रमों' में, यदि अनुरोध किया जाता है तो इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा ''युवा संसद प्रतियोगिता'' के संचालन के सिद्धांत और प्रक्रिया संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है। हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के अनुरोध पर, युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा क्रमशः 9 जुलाई, 2016 और 16 अक्तूबर, 2016 को आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया और मंत्रालय ने युवा संसद के संचालन संबंधी साहित्य भी उपलब्ध कराया।

अध्याय–11
मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिन्दी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच–बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें दिनांक 31.03.2016, 24.06.2016, 26.09.2016 और 23.12.2016 को आयोजित की गई। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

हिन्दी सलाहकार समिति

11.5 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 30 मार्च, 2016 को समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई।

तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री, श्री एम. वेंकैया नायडु 30 मार्च, 2016 को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक लेते हुए

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान तीन अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा

11.7 14 से 28 सितम्बर, 2016 के दौरान मंत्रालय में "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित 6 प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गईः–

1. हिंदी में टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता;
3. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता;
4. हिंदी वाद–विवाद प्रतियोगिता;
5. हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता; और
6. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता।

11.8 हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह 29 सितम्बर, 2016 को संसद भवन में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण – आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 22 अधिकारियों/कर्मचारियों (अनुबंध–10) को पुरस्कार प्रदान किए गए।

(बाएं से दाएं, अगली पंक्ति में) 29 सितंबर, 2016 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर सुश्री मृगनयनी पाण्डेय, सहायक निदेशक, श्री धीरेन्द्र चौबे, उप सचिव, श्री प्रभास कुमार झा, सचिव, डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव और श्री ए. मनोहरन, निदेशक

11.9 संसदीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2015–16 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार हेतु चुना गया। हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2016 को तत्कालीन सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत के माननीय राष्ट्रपति से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

श्री प्रभास कुमार झा, तत्कालीन सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय 14 सितंबर, 2016 को हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

11.10 मंत्री के वैयक्तिक अनुभाग और अनुसंधान प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत–प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	कार्यान्वयन–। अनुभाग	100%
3.	कार्यान्वयन–।। अनुभाग	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी–।। अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%
10.	विधायी–। अनुभाग	50%
11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिन्दी कार्यशाला

11.11 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान 20 से 29 जून, 2016 के दौरान हिंदी कार्यशाला का संचालन किया गया। इस कार्यशाला में 15 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

11.12 हिंदी कार्यशाला के अतिरिक्त, 10 फरवरी, 2016 और 26 अक्तूबर, 2016 को मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के लिए दो विशेष कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। 10 फरवरी, 2016 को आयोजित कार्यशाला में, डॉ. सुनील रहेजा, चिकित्सा अधीक्षक, जी.बी. पंत अस्पताल, दिल्ली सरकार ने स्वस्थ जीवन शैली और पद्धति पर व्याख्यान दिया। 26 अक्तूबर, 2016 को आयोजित कार्यशाला में श्री अनिल कुमार बंसल, प्राकृतिक चिकित्सक और योग विशेषज्ञ तथा डॉ. आर.के. सोनी, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य ने तनाव से निपटने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पर व्याख्यान दिए और मंत्रालय के कर्मचारियों से हिंदी में संवाद किया।

अध्याय – 12

सामान्य

एक झलक

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:–

(i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 24 संसद सदस्य (11 लोक सभा और 13 राज्य सभा); और

(ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 12 संसद सदस्य (02 लोक सभा और 10 राज्य सभा)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 24 संसद सदस्यों (लोक सभा के 11 और राज्य सभा के 13) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि परिशिष्ट–11 में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान परिशिष्ट–12 में दर्शाए गए रूप में 12 संसद सदस्यों (लोक सभा के 02 और राज्य सभा के 10) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.3 संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई:

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर कार्यवाही की गई:–

(i) 16वीं लोक सभा की याचिका समिति के 11वां से 24वां प्रतिवेदन।

(ii) सभापटल पर रखे गए कागज–पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा का छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते

12.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:–

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

12.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमशः अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि–निर्माण के लिए

कार्रवाई की जाती है।

12.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम 37) संसद द्वारा पारित किया गया था जिसके द्वारा सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन और पेंशन बढ़ाए गए थे। वेतन और पेंशन 18 मई, 2009 से बढ़ाए गए थे जोकि पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख है। भत्ते 1 अक्तूबर, 2010 से बढ़ाए गए थे।

12.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमशः परिशिष्ट–13 और परिशिष्ट–14 पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.8 16वीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 10वें से 15वें प्रतिवेदन पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

12.9 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ–साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

12.10 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान–प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए, मंत्रालय समय–समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक सत्रह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पिछला अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आंध्र प्रदेश विधानमंडल के सहयोग से 29–30 सितंबर, 2015 को विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था।

संसद सदस्य – प्रदान की गई सेवाएं

संसद सदस्यों का कल्याण

12.11 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख–रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन–प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब–जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

12.12 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www-mpa-nic-in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की जानकारी (द्विभाषी रूप में) दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

12.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री पी.ए. संगमा, संसद सदस्य (लो.स.) (नागालैंड पीपल्स फ्रंट) जिनका उनके आवास 39, डॉ. ए.पी.जे. कलाम रोड़, नई दिल्ली में दिनांक 4.3.2016 को दिल का दौरा पड़ने पर देहांत हो गया था, के दुखद निधन पर सहायता प्रदान की गई। उसी दिन स्वर्गीय श्री पी.ए. संगमा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चार्टिड हवाई जहाज से तूरा, मेघालय ले जाया गया।

12.14 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, संसद सदस्य (रा.स.) (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) जिनका उनके आवास

93–94 साऊथ एवेन्यु, नई दिल्ली में दिनांक 12.6.2016 को दिल का दौरा पड़ने पर देहांत हो गया था, के दुखद निधन पर सहायता प्रदान की गई। उसी दिन स्वर्गीय श्री प्रवीण राष्ट्रपाल के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए सड़क मार्ग से शाहपुर, गुजरात ले जाया गया।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

12.15 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार से बैठकें बुलाई गईः

क्र.सं.	तारीख	जिनके द्वारा बैठक बुलाई गई	विषय	स्थान
1.	22.2.2016	माननीय संसदीय कार्य मंत्री (प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल हुए थे)	शीतकालीन सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी–074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
2.	17.7.2016	माननीय संसदीय कार्य मंत्री	मानसून सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी–074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
3.	3.9.2016	गृह मंत्री (प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल हुए थे)	जम्मू और कश्मीर राज्य में उत्पन्न स्थिति	जी–074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
4.	7.9.2016	गृह मंत्री	4 से 5 सितंबर, 2016 के दौरान सर्वदलीय शिष्टमंडल के जम्मू और कश्मीर दौरे के पश्चात	जी–074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
5.	15.11.2016	माननीय संसदीय कार्य मंत्री (प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल हुए थे)	शीतकालीन सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी–074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली

'दिनांक 30.1.2017 को जी–074, संसद ग्रंथालय भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक,

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

12.16 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य के बेहतर निपटान के उद्देश्य से, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई। संसदीय कार्य मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुमोदन से, वर्ष 1985 से मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए इन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया।

12.17 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय–समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान–प्रदान, जो अंततः पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। इस मंत्रालय ने 4 से 8 अप्रैल, 2016 को संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों पर 14वें अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया।

अनुसंधान कार्य

12.18 अनुसंधान प्रकोष्ठ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन पर हैंडबुक के लिए सामग्री की समीक्षा करता है/उसे अद्यतित करता है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मांग किए जाने पर संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के मामलों पर परामर्श/मार्ग–दर्शन प्रदान करता है। समय–समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त

विवरण तैयार किए जाते हैं।

12.19 अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका को तैयार करता है और मंत्रालय के नागरिक चार्टर को अद्यतित करता है तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी संगत सिफारिशों पर कार्रवाई करता है। सांख्यिकी पुस्तिका को दिसंबर, 2016 में संशोधित/अद्यतित किया गया था।

12.20 अनुसंधान प्रकोष्ठ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय भी है जिसका रखरखाव अनुसंधान प्रकोष्ठ के स्टाफ द्वारा किया जाता है।

12.21 अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामलों और संसदीय सचिवों के कार्यों संबंधी मामलों को निपटाया जाता है। संसदीय सचिव के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की जांच की गई।

12.22 दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, प्रकोष्ठ द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में लोक सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता और मंत्रियों के लिए आचार संहिता पर टिप्पणियां/परामर्श शामिल है। भारत सरकार में संसदीय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन पर हैंडबुक को संशोधित किया जा रहा है।

12.23 वित्तीय वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुनः प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2016–17 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बजट की स्थिति

12.24 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:–

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	विषय-शीर्ष	बजट अनुमान 2016-17		संशोधित अनुमान 2016-17		बजट अनुमान 2017-18		वास्तविक व्यय 2016-17 दिनांक 28.12.16 तक	
		योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
मुख्य शीर्ष "2052", सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय 13–संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00.01– वेतन	--	112500	--	117600	--	109800	--	101922
	13.00.03– समयोपरि भत्ता	--	250	--	150	--	200	--	106
	13.00.06– चिकित्सा उपचार	--	650	--	1200	--	1000	--	526
	13.00.11– देशीय यात्रा व्यय	--	2000	--	2400	--	2500	--	1389
	13.00.12– विदेशी यात्रा व्यय	--	25000	--	24650	--	25000	--	11388
	13.00.13– कार्यालय व्यय	--	15000	--	17100	--	17000	--	12990
	13.00.16– प्रकाशन	--	1000	--	1000	--	1300	--	794
	13.00. 20– अन्य प्रशासनिक व्यय	--	7900	--	7900	--	9000	--	3890
	13.00.50– अन्य प्रभार	--	8700	--	11500	--	11500	--	8361
	13.99.13– सूचना प्रौद्योगिकी (कार्यलय व्यय)	--	--	--	--	--	1500	--	--
	कुल मुख्य शीर्ष "2052"	**--**	**173000**	**--**	**183500**	**--**	**178800**	**--**	**141366**

अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप

12.25 यह मंत्रालय नियुक्तियों इत्यादि में अक्षम व्यक्तियों के लाभों के मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

ई–ऑफिस एम.एम.पी. का आरंभ

12.26 मंत्रालय में ई–ऑफिस एम.एम.पी. शुरू किया गया है और सभी अभिलेखों का डिजिटाईजेशन कर लिया गया है। मंत्रालय में ई–ऑफिस एम.एम.पी. की प्रगति का मानीटरन सचिव स्तर पर किया जाता है।

परिशिष्ट–1

(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:–

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण;
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय;
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन;
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क;
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां;
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति;
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन;
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन;
9. गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख;
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता;
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह;
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय;
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे;
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव–कार्य;
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन;
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन;
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान– प्रदान;
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य–संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम

परिशिष्ट

से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई;

20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका;
21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30);
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33);
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा					
सोलहवीं लोक सभा का 7वां सत्र और राज्य सभा का 238वां सत्र					
क्र.सं.	अधिनियम का नाम	विधेयक के पुररूस्थापन की तारीख (तारीखें)	विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख		अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति
			लो.स.	रा.स.	
1	2	3	4	5	6
नागर विमानन मंत्रालय					
1.	विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2015	07.08.2015 **लो.स.**	02.12.2015 11.03.2016	02.03.2016	2016 का 12 21.03.2016
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
2.	भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2015	07.08.2015 लो.स.	03.12.2015 14.03.2016	08.03.2016	2016 का 11 21.03.2016
वित्त मंत्रालय					
3.	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016	03.03.2016 **लो.स.**	11.03.2016 16.03.2016	16.03.2016	2016 का 18 25.03.2016
4.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016	14.03.2016 **लो.स.**	14.03.2016	15.03.2016 16.03.2016	2016 का 19 25.03.2016
5.	विनियोग अधिनियम, 2016	14.03.2016 **लो.स.**	14.03.2016	15.03.2016 16.03.2016	2016 का 20 25.03.2016
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय					
6.	भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016	14.08.2013 **रा.स.**	15.03.2016	29.04.2015 10.03.2016	2016 का 16 25.03.2016
विधि और न्याय मंत्रालय					
7.	**निर्वाचन विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2016**	24.02.2016 **लो.स.**	25.02.2016	26.02.2016	2016 का 3 03.03.2016
8.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2016	13.08.2015 **लो.स.**	07.12.2015 11.03.2016	02.03.2016	2016 का 13 21.03.2016
रेल मंत्रालय					
9.	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2016	09.03.2016 **लो.स.**	09.03.2016	14.03.2016	2016 का 14 21.03.2016
10.	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2016	09.03.2016 **लो.स.**	09.03.2016	14.03.2016	2016 का 15 21.03.2016
पोत परिवहन मंत्रालय					
11.	राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016	05.05.2015 **लो.स.**	21.12.2015 15.03.2016	09.03.2016	2016 का 17 25.03.2016

सोलहवीं लोक सभा का 8वां सत्र और राज्य सभा का 239वां सत्र					
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय					
1.		23.12.2015 **रा.स.**	11.05.2016	11.05.2016	2016 का 32 28.05.2016
नागर विमानन मंत्रालय					
2.	**यान-हरण निवारण अधिनियम, 2016**	17.12.2014 **रा.स.**	09.05.2016	04.05.2016	2016 का 30 13.05.2016
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
3.	**उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016**	07.12.2015 **लो.स.**	10.12.2015 10.05.2016	28.04.2016	2016 का 27 14.05.2016
वित्त मंत्रालय					
4.	विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016	24.04.2015 **लो.स.**	11.05.2015 03.05.2016	26.04.2016 27.04.2016	2016 का 22 06.05.2016
5.	निरसन और संशोधन (तीसरा) अधिनियम, 2016	27.07.2015 **लो.स.**	06.08.2015 03.05.2016	26.04.2016 27.04.2016	2016 का 23 06.05.2016
6.	विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2016	03.05.2016 **लो.स.**	03.05.2016	09.05.2016 11.05.2016	2016 का 29 14.05.2016
7.	**वित्त अधिनियम, 2016**	29.02.2016 **लो.स.**	04.05.2016 05.05.2016	09.05.2016 11.05.2016	2016 का 28 14.05.2016
8.	**दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016**	21.12.2015 **लो.स.**	22.12.2015 05.05.2016	11.05.2016	2016 का 31 28.05.2016
*9.	**उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016**	09.05.2016 **लो.स.**	09.05.2016	---	2016 का 33 28.05.2016
गृह मंत्रालय					
10.	सिख गुरूद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016	15.03.2016 **लो.स.**	25.04.2016	16.03.2016	2016 का 21 05.05.2016
खान मंत्रालय					
11.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016	15.03.2016 **लो.स.**	16.03.2016	02.05.2016	2016 का 25 06.05.2016
रेल मंत्रालय					
12.	विनियोग (रेल) संख्या 2 अधिनियम, 2016	26.04.2016 **लो.स.**	26.04.2016	02.05.2016	2016 का 26 06.05.2016
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
13.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016	01.03.2016 **लो.स.**	15.03.2016	28.04.2016	2016 का 24 06.05.2016

सोलहवीं लोक सभा का 9वां सत्र और राज्य सभा का 240वां सत्र					
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय					
1.	**केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016**	05.08.2016 **लो.स.**	09.08.2016	11.08.2016	2016 का 45 19.08.2016
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
2.	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016	08.05.2015 **लो.स.**	03.05.2016	28.07.2016	2016 का 38 03.08.2016
वित्त मंत्रालय					
3.	भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2016	13.08.2015 **लो.स.**	07.12.2015 09.12.2015	11.05.2016	2016 का 34 26.07.2016
4.	बेनामी संव्यवहार (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016	13.05.2015 **लो.स.**	27.07.2016	02.08.2016	2016 का 43 10.08.2016
5.	संविधान (122वां संशोधन) अधिनियम, 2016	19.12.2014 **लो.स.**	06.05.2015 08.08.2016	11.08.2015 04.08.2016	संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 10.08.2016
6.	प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016	11.05.2016 **लो.स.**	01.08.2016	09.08.2016	2016 का 44 12.08.2016
*7.	विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2016	04.08.2016 **लो.स.**	04.08.2016	---	2016 का 46 28.08.2016
*8.	**कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016**	10.08.2016 **लो.स.**	10.08.2016	---	2016 का 47 08.09.2016
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
9.	दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2016	19.07.2016 **लो.स.**	19.07.2016	01.08.2016	2016 का 40 04.08.2016
10.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2016	19.07.2016 **लो.स.**	19.07.2016	01.08.2016	2016 का 39 04.08.2016
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
11.	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016	19.07.2016 **लो.स.**	25.07.2016	02.08.2016	2016 का 41 09.08.2016
12.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016	19.07.2016 **लो.स.**	20.07.2016	01.08.2016	2016 का 42 09.08.2016
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
13.	बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016	04.12.2012 **रा.स.**	26.07.2016	19.07.2016	2016 का 35 29.07.2016
विधि और न्याय मंत्रालय					
14.	लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016	27.07.2016 **लो.स.**	27.07.2016	28.07.2016	2016 का 37 29.07.2016

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
15.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र अधिनियम, 2016	15.03.2016 **लो.स.**	25.04.2016	18.07.2016	2016 का 36 29.07.2016
सोलहवीं लोक सभा का 10वां सत्र और राज्य सभा का 241वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
*1.	कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016	28.11.2016 **लो.स.**	29.11.2016	---	2016 का 48 15.12.2016
*2.	विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2016	08.12.2016 **लो.स.**	08.12.2016	---	2016 का 50 28.12.2016
*3.	विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2016	08.12.2016 **लो.स.**	08.12.2016	---	2016 का 51 27.12.2016
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
4.	निरूशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016	07.02.2014 **रा.स.**	16.12.2016	14.12.2016	2016 का 49 27.12.2016

*लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए यथा अग्रेषित विधेयक को राज्य सभा में इसकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया गया। विधेयक को उक्त अवधि की समाप्ति पर संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उसी रूप में दोनों सदनों से पारित किया हुआ मान लिया गया जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

परिशिष्ट–3

(देखें पैरा 4.7)

16वीं लोक सभा के 10वें सत्र और राज्य सभा के 241वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित सरकारी विधेयकों की सूची

लोक सभा

I. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2016
प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016

II. संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015
नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016

III. स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2016
उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016
वाणिज्य पोत–परिवहन विधेयक, 2016
महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016
किराए पर कोख देना (विनियमन) विधेयक, 2016

IV. स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016
मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016
नावाधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016
संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

V. विधेयक जिनपर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014
विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014
लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015
कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016

राज्य सभा

I. संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987

II. लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक

2. सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015
3. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015
4. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016
5. कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016

III. लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक जिस पर राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

6. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016

IV. स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

7. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
8. संसद और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनरूसमायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
9. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013

V. प्रवर समिति को भेजा गया विधेयक जिस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

VI. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

11. प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता विधेयक, 1990
12. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
13. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
14. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
15. बीज विधेयक, 2004
16. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
17. भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
18. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
19. नाविक भविष्य–निधि (संशोधन) विधेयक, 2007
20. निजि जासूसी एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2007
21. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008
22. भारतीय दूर–संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
23. वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010
24. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
25. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा–शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
26. राष्ट्रीय मानव संसाधन स्वास्थ्य आयोग विधेयक, 2011
27. सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012
28. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012
29. पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
30. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
31. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
32. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
33. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
34. नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013
35. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
36. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
37. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014
38. अधिकरण, अपीली अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा शर्तें) विधेयक, 2014
39. वक्फ संपत्ति (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014
40. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015

परिशिष्ट – 4

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान रेल और सामान्य बजट तथा राज्य बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण

(क) रेल बजट

क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष 2016–17 के लिए बजट (रेल) का प्रस्तुतीकरण	25.02.2016	1	08	25.02.2016	-	-
2.	(i) वर्ष 2016–17 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा (ii) वर्ष 2016–17 के लिए लेखानुदान मांगें (रेल) (iii) वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल) *(मद (i), (ii) और (iii) पर एक साथ चर्चा की गई)	03.03.2016 08.03.2016 09.03.2016	14	22	15.03.2016 16.03.2016#	06#	53#
3.	वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान मांगें (रेल)	26.03.2016	4	44	#	#	#

(ख) सामान्य बजट

क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष 2016–17 के लिए बजट (सामान्य) का प्रस्तुतीकरण	29.02.2016	1	41	29.02.2016	-	-
*2.	वर्ष 2016–17 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा	10.03.2016 11.03.2016 14.03.2016 27.04.2016 28.04.2016 29.04.2016 02.05.2016 03.05.2016 03.05.2016	12 4 5 4 2 5	43 17 18 38 40 06	15.03.2016 16.03.2016#	06#	53#
*3. (i)	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदानः– वर्ष 2016–17 के लिए लेखानुदान मांगें (सामान्य)						
(ii)	वर्ष 2015–16 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य) '(मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई)						

4. 5. 6. 7. 8.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा। नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।						
9.	निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2016–17 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआः– (1) कृषि (2) परमाणु ऊर्जा (3) आयुष (4) रसायन और उर्वरक (5) कोयला (6) वाणिज्य और उद्योग (7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (8) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (9) कारपोरेट कार्य (10) संस्कृति (11) रक्षा (12) पेयजल और स्वच्छता (13) पृथ्वी–विज्ञान (14) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (15) विदेश (16) वित्त (17) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (18) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (19) भारी उद्योग और लोक उद्यम (20) गृह (21) मानव संसाधन विकास (22) सूचना और प्रसारण (23) श्रम और रोजगार (24) विधि और न्याय (25) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (26) खान (27) अल्पसंख्यक कार्य (28) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (29) पंचायती राज (30) संसदीय कार्य (31) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (32) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (33) योजना (34) विद्युत (35) लोक सभा (36) राज्य सभा (37) उप राष्ट्रपति सचिवालय (38) सड़क परिवहन और राजमार्ग (39) ग्रामीण विकास (40) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (41) पोत परिवतन (42) पोत परिवहन विभाग (43) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (44) इस्पात (45) वस्त्र (46) जनजातीय कार्य (47) शहरी विकास (48) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण (49) महिला और बाल विकास (50) युवा कार्य और खेल	29.04.2016	0	07	#	#	#

10.	वर्ष 2016–17 के उत्तराखंड बजट का प्रस्तुतिकरण (i) बजट (उत्तराखंड 2016–17) पर सामान्य चर्चा (ii) लेखानुदान मांगें (उत्तराखंड 2016–17) (मद (i) और (ii) पर एक साथ चर्चा की गई)	09.05.2016	2	44	#	#	#
11.	अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)–2016–17 पर चर्चा और मतदान	01.08.2016 04.08.2016	4	53	#	#	#
12.	बजट (सामान्य)–2016–17 के संबंध में अनुपूरक अनुदान मांगें	07.12.2016	-	-	#	#	#
13.	वर्ष 2013–14 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदान मांगें	07.12.2016	-	-	#	#	#
14.	(i) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगें (सामान्य)–2016–17 के लिए (ii) अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य)–2013–14	08.12.2016	00	50	#	#	#

टिप्पणीः राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट–5

(देखें पैरा 4.12)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	7.11.90	अस्वीकृत हां – 151 नहीं – 356	11	10
3	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	16.11.90	स्वीकृत हां – 280 नहीं – 214	06	34
4	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां – 240 नहीं – 109 अनुपस्थित – 112	07	35
5	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	27.5.96 28.5.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।	10	51
6	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	11.6.96 12.6.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20
7	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	11.4.97	अस्वीकृत हां – 190 नहीं – 338 अनुपस्थित – 5	12	50

8	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	22.4.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	27.3.1998 28.3.1998	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 260	17	56
10	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां – 269 नहीं – 270	24	58
11	'कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया'	21.7.2008 22.7.2008	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 256	15	11

परिशिष्ट–6

(देखें पैरा 5.5)

01.01.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुररूस्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

(1) श्री कलिकेश नारायण सिंह देव द्वारा जलवायु परिवर्तन विधेयक, 2015

(2) श्री कलिकेश नारायण सिंह देव द्वारा ओडिशा राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015

(3) श्री कलिकेश नारायण सिंह देव द्वारा पक्ष प्रचारण के क्रियाकलापों का प्रकटीकरण विधेयक, 2015

(4) श्री प्रेम दास राय द्वारा अस्पताल–अर्जित सक्रम (निवारण, नियंत्रण और आज्ञापक रिपोर्टिंग) विधेयक, 2015

(5) श्री जैदेव गल्ला द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय (गुंटूर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(6) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 12 का संशोधन)

(7) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 66 का संशोधन)

(8) श्री राजेश पाण्डेय द्वारा राष्ट्रीय गन्ना किसान आयोग विधेयक, 2015

(9) श्री राजेश पाण्डेय द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2015

(10) श्री सी.पी. जोशी द्वारा राजस्थान में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015

(11) डा. ए. संपत का भारत द्वारा उच्चतम न्यायालय (तिरूवनंतपुरम में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(12) डा. धर्म वीर गांधी द्वारा सिख विवाह विधेयक, 2016

(13) श्री कीर्ति आजाद द्वारा अंतराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2016

(14) श्री कीर्ति आजाद द्वारा जनसंहार अपराध का निवारण और दंड विधेयक, 2016

(15) श्री कीर्ति आजाद द्वारा मखाना उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2016

(16) श्री रवींद्र कुमार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 33 का संशोधन)

(17) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा दुर्घटना प्रभावित व्यक्ति (समान प्रतिकर) विधेयक, 2016

(18) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा पटरी पर रहने वाले बेघर व्यक्ति (कल्याण) विधेयक, 2016

(19) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

(20) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए भाग 4ख का अंतःस्थापन)

(21) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा कारीगर (कल्याण) विधेयक, 2015

(22) श्री हरीश चंद्र मीणा द्वारा परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 35 और 46 का संशोधन)

(23) श्री राजीव सातव द्वारा न्यायिक कार्यवाहियों तक अभिगम और सूचना का अधिकार विधेयक, 2016

(24) श्री निशिकांत दुबे द्वारा विधवाओं और अनाथों के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं विधेयक, 2016

(25) श्री निशिकांत दुबे द्वारा वैयक्तिक दिवाला (घोषणा और पुनर्वास) विधेयक, 2016

(26) श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 46 और 94 का संशोधन)

(27) डा. बूरा नरसैय्या गौड़ द्वारा छद्म विज्ञापन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016

(28) डा. बूरा नरसैय्या गौड़ द्वारा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अध्याय–IIक का अंतःस्थापन)

(29) डा. बूरा नरसैय्या गौड़ द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 243उट और 243यक का संशोधन)

(30) श्री एडवोकट जोएस जॉर्ज द्वारा अल्प भूस्वामी कृषक (संरक्षण और कल्याण विधेयक), 2016

(31) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा यौन कर्मी (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2016

(32) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा वर्षा–जल (संचयन और संग्रहण) विधेयक, 2016

(33) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा शिक्षा ऋण विधेयक, 2016

(34) श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2016

(35) डा. उदित राज द्वारा प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2016

(36) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 366 का संशोधन)

(37) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 370 का संशोधन)

(38) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 6 का संशोधन)

(39) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 19 का संशोधन)

(40) श्री जैदेव गल्ला द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 340 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

(41) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 260 का संशोधन)

(42) श्रीमती रमा देवी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग निगम विधेयक, 2016

(43) श्रीमती रमा देवी द्वारा अभावग्रस्त और पिछड़ा क्षेत्र (विकास) विधेयक, 2016

(44) श्री राजेंद्र अग्रवाल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)

(45) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा कारागार (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

(46) श्री राघव लखन पाल द्वारा महिलाओं को डायन बताकर उन्हें उत्पीड़ित करने की प्रथा का निवारण विधेयक, 2016

(47) डा. मनोज राजोरिया द्वारा गुमशुदा बालक (शीघ्र खोज और पुनर्मिलन) विधेयक, 2016

(48) डा. मनोज राजोरिया द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक शिक्षा का अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना विधेयक, 2016

(49) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा निराश्रित बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2016

(50) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

(51) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 1 का संशोधन)

(52) डा. महेंद्र नाथ पाण्डेय द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

(53) श्री राजेश रंजन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 243छ और 243ब का संशोधन)

(54) प्रो. सौगत राय द्वारा चाय बागान कामगार (देय का यथासमय संदाय) विधेयक, 2016

(55) प्रो. सौगत राय द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)

(56) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)

(57) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय खेल आचार आयोग विधेयक, 2016

(58) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

(59) डा. ए. संपत द्वारा जीवन बीमा अभिकर्ता कल्याण विधेयक, 2016

(60) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे माता–पिता की बालिकाओं की वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

(61) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक, 2016

(62) श्री दुष्यंत चौटाला का विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 113 का संशोधन)

(63) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 53घ का संशोधन)

(64) श्री दुष्यत चौटाला द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 16 और 20 का संशोधन)

(65) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 14ग का संशोधन)

(66) श्री राजीव सातव द्वारा प्रतिकूल फोटोग्राफी का निवारण विधेयक, 2016

(67) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा राष्ट्रीय साक्षी संरक्षण विधेयक, 2016

(68) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा पर्यावरण संरक्षण (गैर–जैव–अवक्रमणीय कूड़े का नियंत्रण) विधेयक, 2016

(69) श्री बैजयंत पांडा द्वारा केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों में रिक्तियों का समय पर भरना विधेयक, 2016

(70) श्री बैजयंत पांडा द्वारा विधियों का समय पर प्रवर्तन विधेयक, 2016

(71) श्री बैजयंत पांडा द्वारा लोक निर्माण की जियोटैग–समर्थित मानीटरी विधेयक, 2016

(72) प्रो. सौगत राय द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 124क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(73) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 124क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(74) श्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा राष्ट्रीय हरित अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 5 का संशोधन)

(75) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

(76) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 40 का संशोधन)

(77) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे द्वारा पत्तन न्यास (स्थानीय व्यक्तियों को नियोजन में आरक्षण) विधेयक, 2016

(78) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे द्वारा विरासत शहर और स्थल विकास विधेयक, 2016

(79) श्री राजेंद्र अग्रवाल द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय (मेरठ में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(80) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (कतिपय सुविधाओं का उपबंध) विधेयक, 2016

(81) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा मानसिक विमन्दित बालक (कल्याण) विधेयक, 2016

(82) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (तीसरी अनुसूची का संशोधन)

(83) श्री ओम बिरला द्वारा विद्यालयों में सफाई और स्वच्छता का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

(84) डा. किरीट सोमैया द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 78 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(85) श्रीमती पूनम महाजन द्वारा जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 11 का संशोधन, आदि)

(86) श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधित) विधेयक, 2015 (धारा 62 का संशोधन)

(87) श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने का प्रतिषेध विधेयक, 2015

(88) श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी द्वारा प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 52 का संशोधन)

(89) श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 70क का अंतःस्थापन)

(90) श्री बिरेन सिंह इंगती द्वारा असम पुनर्गठन (कार्बी दिमांचल) विधेयक, 2016

(91) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय (हमीरपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(92) श्री राजीव सातव द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय (मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्किट न्यायपीठों की स्थापना) विधेयक, 2016

(93) डा. शशि थरूर द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 243ण का संशोधन आदि)

(94) डा. शशि थरूर द्वारा घरेलू कर्मकार कल्याण विधेयक, 2016

(95) श्री राजीव सातव द्वारा विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछड़े और सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

(96) श्री राजीव सातव द्वारा निजी क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 2016

(97) श्री राजीव सातव द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में कृषि शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

(98) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा रैगिंग का प्रतिषेध और उन्मूलन विधेयक, 2016

(99) श्री निनोग ईरिंग द्वारा अरूणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 29क से 29ठ का अंतःस्थापन)

(100) डा. संजय जायसवाल द्वारा बाल विवाह का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, (धारा 2 का संशोधन आदि)

(101) श्री ए.टी. नाना पाटील द्वारा बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा (मातृभाषा में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2016

(102) श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव) द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विधेयक, 2016

(103) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा स्वदेशी गौ संरक्षण बोर्ड विधेयक, 2016

(104) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा प्राइवेट कोचिंग सेंटर विनियामक बोर्ड विधेयक, 2016

(105) श्री ए.टी. नाना पाटील द्वारा जिम्नेजियम और फिटनेस सेंटर्स (विनियमन) विधेयक, 2016

(106) श्री निशिकांत दुबे द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 343 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन आदि)

(107) श्री निशिकांत दुबे द्वारा बाल विकास कार्यक्रम समन्वय अभिकरण विधेयक, 2016

(108) श्री निशिकांत दुबे द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 196 का संशोधन)

(109) श्री निशिकांत दुबे द्वारा बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(110) श्री अजय मिश्रा 'टेनी' द्वारा रेल पटरियों, रेल यार्डों के समीप और रेल भूमि पर रहने वाले बेघर व्यक्ति कल्याण विधेयक, 2016

(111) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय (हरिद्वार में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(112) श्री आर. ध्रुवनारायण द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 72 और 161 का संशोधन)

(113) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 80 का संशोधन)

(114) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा जूट उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2016

(115) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा पावरलूम सेक्टर (कल्याण) विधेयक, 2016

(116) श्री रवींद्र कुमार जेना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 5 आदि का संशोधन)

(117) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 325 का संशोधन)

(118) श्री राजेंद्र अग्रवाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

(119) श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य कर्मकार (संरक्षण, प्रोत्साहन और कल्याण) विधेयक, 2016

(120) श्री राजेश रंजन (पप्पु यादव) द्वारा साइकिल चलाने को प्रोत्साहन तथा प्रमुख सड़कों ओर राजमार्गों पर अनिवार्यतः समर्पित साइकिल गलियारे का उपबंध विधेयक, 2016

(121) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)

(122) श्री सुनील कुमार सिह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकार और कलाकार कल्याण विधेयक, 2016

(123) डा. मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय (करौली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(124) डा. मनोज राजोरिया द्वारा स्वतंत्रता सेनानी और उनका परिवार (कल्याण) विधेयक, 2016

(125) डा. उदित राज द्वारा दलित, पिछड़े और दलित युवा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2016

(126) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा वृद्धावस्था पेंशन विधेयक, 2016

(127) श्री राहुल शेवाले द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 15 का संशोधन)

(128) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन)

(129) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 11 और 35 का संशोधन)

(130) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन आदि)

(131) डा. बूरा नरसैय्या गौड द्वारा हथकरधा बुनकर (कल्याण) विधेयक, 2016

(132) प्रो. रिचर्ड हे द्वारा आंग्ल भारतीय कल्याण विधेयक, 2016

(133) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 75 का संशोधन, आदि)

(134) श्री दयाकर पासुनौरी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 341 का संशोधन)

(135) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा शुष्क और मरूस्थलीय क्षेत्रों के किसान (कल्याण और अन्य विशेष उपबंध) विधेयक, 2016

(136) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा महानगरीय पिछड़ा क्षेत्र (बुनियादी सुख–सुविधाएं और अन्य उपबंध) विधेयक, 2016

(137) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2016

(138) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा आश्रय का अधिकार विधेयक, 2016

(139) श्री बैजयंत पांडा द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 309 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(140) श्री बैजयंत पांडा द्वारा वाहन प्रदूषण में कमी लाने संबंधी विधेयक, 2016

(141) डा. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा भारतीय हिम ओर हिमनद प्राधिकरण विधेयक, 2016

(142) डा. बूरा नरसैय्या गौड द्वारा राष्ट्रीय अति लघु उद्योग आयोग विधेयक, 2016

(143) डा. बूरा नरसैय्या गौड द्वारा ताड़ी उद्योग कामगार कल्याण विधेयक, 2016

(144) श्री नागेंद्र कुमार प्रधान द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय (संबलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(145) श्री बैजयंत पांडा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 4 का संशोधन, आदि)

(146) श्री बैजयंत पांडा द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 499 का संशोधन, आदि)

(147) श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में आपदा प्रबंधन शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

(148) श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में विधि शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

(149) श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में मनोविज्ञान का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

(150) डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा अनिवार्य विवाह–पूर्व स्वास्थ्य परीक्षा विधेयक, 2016

(151) डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा उपनाम का प्रयोग (प्रतिषेध) विधेयक, 2016

(152) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 9 का संशोधन)

(153) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा बाल विकास विधेयक, 2016

(154) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा वर्षाजल (अनिवार्य संचयन) विधेयक, 2016

(155) श्री राजेंद्र अग्रवाल द्वारा बालकों का निरूशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2016 (धारा 2 और 3 का संशोधन)

(156) डा. मनोज राजोरिया द्वारा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं (धन उधार देने का विनियमन) विधेयक, 2016

(157) डा. मनोज राजोरिया द्वारा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा प्राधिकरण विधेयक, 2016

(158) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा बालक श्रम (उत्पादन) विधेयक, 2016

(159) श्री राहुल शेवाले द्वारा वन्य जीव गलियारे विधेयक, 2016

(160) श्री राहुल शेवाले द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2016

(161) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा प्लास्टिक मदों पर पाबंदी विधेयक, 2016

(162) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा (संवर्धन और अनिवार्य उपयोग) विधेयक, 2016

(163) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय (बांदा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(164) डा. उदित राज द्वारा कास्तकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2016

(165) डा. उदित राज द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 15 का संशोधन)

(166) श्री फिरोज वरूण गांधी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016

(167) श्री फिरोज वरूण गांधी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 324 का संशोधन)

राज्य सभा

(1) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुरःस्थापित।

(2) व्यथित विधवाएं एवं एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2016 श्री राजकुमार धूत द्वारा पुरःस्थापित।

(3) महाराष्ट्र राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016 श्री राजकुमार धूत द्वारा पुरःस्थापित।

(4) साइकिल चलाने को प्रोत्साहन तथा प्रमुख सड़कों ओर राजमार्गों पर अनिवार्यतः समर्पित साइकिल गलियारे का उपबंध विधेयक, 2016 श्री राजकुमार धूत द्वारा पुरःस्थापित।

(5) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 343 का संशोधन) श्री राजकुमार धूत द्वारा पुरःस्थापित।

(6) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 246, 248, 254 और सातवीं अनुसूची का संशोधन) श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुरःस्थापित।

(7) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 श्री अविनाश पांडे द्वारा पुरःस्थापित।

(8) रेल की पटरियों के आस–पास रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास तथा कल्याण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण विधेयक, 2016 श्री मनसुख एल. मांडविया द्वारा पुरःस्थापित।

(9) विद्यालयों में अनिवार्य भाषा के रूप में संस्कृत का अध्यापन विधेयक, 2016 श्री मनसुख एल. मांडविया द्वारा पुरःस्थापित।

(10) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 72 का संशोधन) श्री मनसुख एल. मांडविया द्वारा पुरःस्थापित।

(11) युवा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2016 डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पुरःस्थापित।

(12) तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधेयक, 2016 श्री भूपेंद्र यादव द्वारा पुरःस्थापित।

(13) बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 श्री भूपेंद्र यादव द्वारा पुरःस्थापित।

(14) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 14 का संशोधन) श्री रंगासायी रामाकृष्णा द्वारा पुरःस्थापित।

(15) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 309 का विलोप) श्री हुसैन दलवई द्वारा पुरःस्थापित।

(16) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (शिक्षण संस्थाओं में जाति आधारित भेदभाव का निवारण) विधेयक, 2016 डा. भालचंद्र मुणगेकर द्वारा पुरःस्थापित।

(17) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 15 तथा 16 का संशोधन) प्रो. एम.वी. राजीव गौडा द्वारा पुरःस्थापित।

(18) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 श्री विजय जवाहरलाल दर्डा द्वारा पुरःस्थापित।

(19) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2016 श्री विजय जवाहरलाल दर्डा द्वारा पुरःस्थापित।

(20) महिलाओं पर अत्याचार निवारण विधेयक, 2016 श्री विजय जवाहरलाला दर्डा द्वारा पुरःस्थापित।

(21) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 21क का अंतरूस्थापन) श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा पुरःस्थापित।

(22) जमानत विधेयक, 2016 श्री सुखेंदु शेखर राय द्वारा पुरःस्थापित।

(23) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) श्री बी.के. हरिप्रसाद द्वारा पुरःस्थापित।

(24) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 338ख का अंतरूस्थापन) श्री बी.के. हरिप्रसाद द्वारा पुरःस्थापित।

(25) व्यक्तिगत डाटा की निजता का अधिकार विधेयक, 2016 श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुरःस्थापित।

(26) पश्चिम बंगाल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016 श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुरःस्थापित।

(27) जूट उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2016 श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुरःस्थापित किया गया।

(28) मरणासन्न रोगियों का चिकित्सीय उपचार (रोगियों और चिकित्सा व्यवसायियों का संरक्षण) विधेयक, 2016 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुरःस्थापित।

(29) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 25क का अंतरूस्थापन) श्री हुसैन दलवई द्वारा पुरःस्थापित।

(30) मुस्लिम विवाह–विघटन विधेयक, 2016 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुरःस्थापित।

(31) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 324 का संशोधन) श्री शांताराम नायक द्वारा पुरःस्थापित।

(32) भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2016 श्री शांताराम नायक द्वारा पुरःस्थापित।

(33) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 16 का संशोधन) श्री शांताराम नायक द्वारा पुरःस्थापित।

(34) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2016 डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पुरःस्थापित।

(35) शिक्षा ऋण विधेयक, 2016 डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पुरःस्थापित।

(36) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 361ख के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन और दसवीं अनुसूची का संशोधन) श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा पुरःस्थापित।

(37) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016 श्री विशंभर प्रसाद निषाद द्वारा पुरःस्थापित।

(38) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन) श्री विशंभर प्रसाद निषाद द्वारा पुरःस्थापित।

(39) महिला (कार्यस्थल में आरक्षण) विधेयक, 2016 श्री तिरूची शिवा द्वारा पुरःस्थापित।

(40) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2016 डा. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा पुरःस्थापित।

(41) आतंकवाद प्रायोजक देशों की घोषणा विधेयक, 2016 श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा पुरःस्थापित।

(42) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन) श्री के.के. रोगश द्वारा पुरःस्थापित।

(43) महिला कल्याण विधेयक, 2016 श्रीमती शशिकला पुष्पा द्वारा पुरःस्थापित।

(44) महिला कामगार (समान वेतन और कल्याण) विधेयक, 2016 श्रीमती शशिकला पुष्पा द्वारा पुरःस्थापित।

(45) महिला (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2016 श्रीमती शशिकला पुष्पा द्वारा पुरःस्थापित।

(46) चाय कामगार (कल्याण और विशेष उपबंध) विधेयक, 2016 श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुरःस्थापित।

(47) अंतर्राज्यीय नदी जल प्राधिकरण विधेयक, 2016 श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुरःस्थापित।

(48) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 102 और 191 का संशोधन) श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा पुरःस्थापित।

परिशिष्ट–7

(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।

नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी–अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संघटन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30 होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग–निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. बैठकें

बैठकों की संख्या

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंतःसत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समितियों की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंतःसत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंतःसत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ–साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

गणपूर्ति (कोरम)

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंतःसत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यतः उस सिफारिश को मान लेगी अर्थातः–

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;

(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और

(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्तःसत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ–साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप–समिति

परामर्शदात्री समिति की उप–समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा –निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

परामर्शदात्री समिति पर नामांकन

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाएः–

1. .....

2. .....

3. .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्यः लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैंः

दूरभाष तथा फैक्स नं.

(क) दिल्ली का पताः

(ख) स्थायी पताः

सेवा में

निदेशक,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली।

परिशिष्ट–8

(देखें पैरा 8.4)

16वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

क्रम सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3	नागर विमानन मंत्रालय
4	कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय
5	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6	संचार मंत्रालय
7	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
8	**रक्षा मंत्रालय**
9	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
10	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
11	विदेश मंत्रालय मंत्रालय
12	वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
13	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
15	गृह मंत्रालय
16	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
17	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
18	श्रम और रोजगार मंत्रालय
19	विधि और न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
20	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
21	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
22	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
23	रेल मंत्रालय
24	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय
25	ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
26	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
27	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
28	इस्पात मंत्रालय
29	वस्त्र मंत्रालय
30	पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय
31	जनजातीय कार्य मंत्रालय
32	शहरी विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
33	जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
34	महिला और बाल विकास मंत्रालय
35	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट-9

(देखें पैरा 8.5)

परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	06
बैठकों की तारीखें	15.02.2016 (मेघालय), 04.05.2016, 14.07.2016, 04.08.2016, 25.10.2016, 15.12.2016
चर्चा किए गए विषय	भारत में बागवानी विकास; एफएमडी के साथ पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन; पौध संरक्षण; तिलहन और दालों की उत्पादकता में वृद्धि; जलवायु बदलने के तहत एक चुनौती के रूप में उभरते जैविक दवाब
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	12.04.2016 (मुम्बई), 08.06.2016, 29.09.2016
चर्चा किए गए विषय	नीम लेपित यूरिया; असम गैस क्रैकर परियोजना; एनपीपीए की सस्ती दवाओं की पहल
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	26.07.2016
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय नागर विमानन नीति – 2016 और मसौदा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना
कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	19.02.2016 (तिरूपति), 14.07.2016, 11.08.2016, 12.11.2016
चर्चा किए गए विषय	कोयला धुलाई और गुणवत्ता में सुधार; कोयले की ई–नीलामी और कोयला कड़ी की नीलामी, (i) सीआईएल द्वारा खानों को बंद करने की योजनाओं का कार्यान्वयन; खनन क्षेत्रों को विस्तार/बढ़ावा देने के कदम; कौशल विकास
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	02.05.2016, 07.10.2016
चर्चा किए गए विषय	विश्व व्यापार संगठन में व्यापार सुविधा समझौते के तहत भारत द्वारा प्रतिबद्धताएं; स्टार्टअप भारत
संचार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	28.01.2016, 18.10.2016

चर्चा किए गए विषय	डाक विभाग की ई–कॉमर्स की पहल; मोबाइल टावरों से विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र विकिरण के बारे में जागरूकता
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	05.02.2016 (पोर्ट ब्लेयर), 12.05.2016, 11.08.2016
चर्चा किए गए विषय	(i) एनएफएसए का कार्यान्वयन (ii) टीडीपीएस में सुधार (iii) एफसीआई के प्रचालनों पर चर्चा (iv) कानूनी माप–प्रद्धति (i) एनएफएसए और (ii) टीडीपीएस (i) सीआरडब्ल्यूसी के कार्यचालन की समीक्षा तथा (ii) राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	04.05.2016, 15.09.2016, 08.12.2016
चर्चा किए गए विषय	सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम; सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा; क्षेत्रीय सेना
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	29.04.2016, 12.08.2016, 24.11.2016
चर्चा किए गए विषय	एनएलसीआर के संशोधित दिशा–निर्देश; उत्तर पूर्वी परिषद की भूमिका और कार्य; उत्तर पूर्वी परिषद की भूमिका और कार्य;
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	01.02.2016 (सुंदरबन), 27.04.2016, 05.12.2016
चर्चा किए गए विषय	सामान्य या झीलों में जैव विविधता; तटीय वनस्पतियां और विशेष रूप से मूंगा चट्टान; बाघ परियोजना; सीओपी 22, मार्रकेश
विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	13.02.2016, 30.06.2016, 01.10.2016
चर्चा किए गए विषय	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का विदेश मंत्रालय में विलय; भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2016; लक्ष्य और अवसर; प्रवासी भारतीय दिवस, 2017; सांसदों से नए प्रारूप और सुझाव
वित्त मंत्रालय और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	05
बैठकों की तारीखें	05.02.2016, 27.04.2016, 15.07.2016, 30.09.2016, 15.12.2016

चर्चा किए गए विषय	बजट के लिए सुझाव; बेंकिंग क्षेत्र में एनपीए; डीबीटी – प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण; जीएसटी; डिजिटल लेनदेन में अंतरण
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	09.05.2016, 04.08.2016, 24.10.2016, 16.12.2016
चर्चा किए गए विषय	खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला; खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास; कोल्ड चेन; मूल्य संवर्धन और संरक्षण के बुनियादी ढांचे; भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	15.02.2016, 23.06.2016, 28.09.2016 (Shillong), 15.12.2016
चर्चा किए गए विषय	परिवार नियोजन एवं जनसंख्या स्थिरीकरण; स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में उपलब्धियां/गतिविधियां; पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य प्रणाली विकास; बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
04.07.2016	04.07.2016
चर्चा किए गए विषय	आपदा प्रबंधन की तैयारियां – एक समीक्षा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	25.06.2016 (गैंगटोक), 22.09.2016, 29.12.2016
चर्चा किए गए विषय	अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यचालन में सुधार; सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	11.02.2016, 15.07.2016, 11.11.2016
चर्चा किए गए विषय	इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विषय–वस्तु का विनियमन; प्रकाशन प्रभाग – आगे की राह; भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यचालन (आरएनआई)
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	05.01.2016, 14.06.2016 (Goa), 01.12.2016

चर्चा किए गए विषय	महानिदेशालय खान सुरक्षा और महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थानों की कार्य–पद्धति; अनुबंध कामगारों का मुद्दा; ईएसआईसी औषधालयों/अस्पतालों का उन्नयन
विधि और न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	05.04.2016
चर्चा किए गए विषय	माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	28.04.2016, 23.09.2016 (चैन्नई)
चर्चा किए गए विषय	नई मंज़िल – मदरसा विद्यार्थियों के लिए अवसर के प्रवेश द्वार; सीखो और कमाओ योजना – समीक्षा और स्थिति
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	18.02.2016 (देहरादून), 11.05.2016, 09.11.2016
चर्चा किए गए विषय	ई और पी क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका; प्रधान मंत्री उज्जवल योजना; प्राकृतिक गैस को बढ़ावा
विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	19.02.2016 (तिरूपति), 14.07.2016, 12.08.2016, 12.11.2016
चर्चा किए गए विषय	(i) सोलर पार्कों के कार्यान्वयन की समीक्षा (ii) एनटीपीसी द्वारा उत्सर्जन कम करने तथा क्षमता को बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम; (i) टीएचडीसी लिमिटेड की समीक्षा और (ii) सोलर छत कार्यक्रम; (i) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसीएल) (ii) बायो–गैस कार्यक्रम का कार्यान्वयन; (i) सबके लिए 24X7 बिजली और सभी आवासों में बिजली की पहुंच उपलब्ध कराना (ii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बायोगैस कार्यक्रम एवं कौशल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन
रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	12.08.2016, 15.11.2016, 16.12.2016
चर्चा किए गए विषय	सोशल मीडिया के माध्यम से रेल यात्रियों की सेवा; रेलवे पर हरित ऊर्जा का उपयोग; पूर्वोत्तर राज्यों में रेल संपर्क बढ़ाना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	28.01.2016, 21.03.2016
चर्चा किए गए विषय	जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत; राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की कार्य–पद्धति
ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	27.04.2016, 29.12.2016
चर्चा किए गए विषय	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण; (i) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) और (ii) ग्राम पंचायत का सशस्तिकरण
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	28.01.2016 (भुवनेश्वर), 01.12.2016
चर्चा किए गए विषय	कौशल परिषद क्षेत्र की भूमिका और कार्य–पद्धति; शिक्षुता
सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	01.02.2016, 23.05.2016, 11.08.2016, 17.10.2016 (मैसूर)
चर्चा किए गए विषय	(i) डी–अधिसूचित खानाबदोश और अर्द्ध घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (ii) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाएं; बजट में प्रस्तावित सभी योजनाएं; (i) हाथ से मैला उठाने वालों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 और (ii) अत्याचार निवारण अधिनियम (पीओए); एनएसएफडीसी
इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	27.04.2016, 10.05.2016, 09.08.2016, 05.10.2016 (भोपाल)
चर्चा किए गए विषय	(i) एसएआईएल और आरआईएनएल की समीक्षा और (ii) एचसीएल की समीक्षा और भारतीय कॉपर क्षेत्र में चुनौतियां और अवसर; इस्पाल क्षेत्र के लिए आगे की राह; पर्यावरण समाशोधन और खनिज से संबंधित मुद्दे; (ii) स्टील की मांग में वृद्धि करने के उपाय
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	12.02.2016 (हैदराबाद), 15.09.2016
चर्चा किए गए विषय	हस्तशिल्प क्षेत्र एवं निफ्ट; कौशल विकास (आईएसडीएस)

पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	कोई नहीं
बैठकों की तारीखें	
चर्चा किए गए विषय	
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	28.04.2016, 28.07.2016, 08.11.2016
चर्चा किए गए विषय	वन अधिकार अधिनियम (एफआरए); अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा संबंधित मुद्दे; व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र
शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	कोई नहीं
बैठकों की तारीखें	
चर्चा किए गए विषय	
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	15.03.2016, 12.07.2016, 07.09.2016, 28.12.2016
चर्चा किए गए विषय	गंगा की सफाई; सूखे के लिए प्रभावी रूप से जल संसाधन प्रबंधन; भूजल विकास और प्रबंधन; प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	23.11.2016
चर्चा किए गए विषय	कौशल प्रशिक्षण और महिला ई–हाट
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	28.07.2016
चर्चा किए गए विषय	नेहरू युवा केंद्र संगठन

अनुबंध-10

(देखें पैरा 11.8)

14 से 28 सितंबर, 2016 के दौरान मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण

क्र.सं.	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता		पुरस्कार
1	हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	1	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री अविनाश कुमार, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	द्वितीय
		3	श्री परेश गोयल, सलाहकार/सहायक	तृतीय
		4	श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय
2.	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	1	श्री प्रविंद्र खत्री, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	प्रथम
		2	श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	द्वितीय
		3	श्री अविनाश कुमार, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय
3.	हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्री परेश गोयल, सलाहकार/सहायक	प्रथम
		2	मो. अस्दुल्लाह, संसद सहायक	द्वितीय
		3	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
4.	हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता	1	श्री कमल किशोर, एम.टी.एस.	प्रथम
		2	श्री विपिन कटारिया, सवार हरकारा	द्वितीय
		3	श्री आनंद कुमार, एम.टी.एस.	द्वितीय
		4	श्री ब्रहम कुमार, एम.टी.एस.	तृतीय
		5	श्री गजराज सिंह, एम.टी.एस	तृतीय
5.	हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता	1	मो. अस्दुल्लाह, संसद सहायक	प्रथम
		2	श्री प्रविंद्र खत्री, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	द्वितीय
		3	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		4	श्री प्रकाश चंद्र झा, वैयक्तिक सहायक	तृतीय
6.	गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्री जे.एन. नायक, वैयक्तिक सहायक	प्रथम
		2	श्री ए.एन. बालचंद्रन नायर,सलाहकार/सहायक	द्वितीय
		3	श्री पी.के. हलदर, अवर सचिव	तृतीय
			श्री संजित कुमार दास, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय

मंत्रालय में मूल टिप्पण और आलेखन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015–2016 के लिए नकद पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेता

क्र.सं.	पुरस्कार विजेता	पुरस्कार
1.	श्री प्रकाश टहिलियानी, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
2.	श्री परेश गोयल, सलाहकार/सहायक	प्रथम
3.	श्री प्रद्योत बेपारी, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
4.	श्री अमर देव, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
5.	श्री साधु राम, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	द्वितीय
6.	श्री अविनाश कुमार, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय
7.	श्री जय नारायण, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय

परिशिष्ट–11

(देखें पैरा 12.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	**वन्यजीव संस्थान सोसाइटी, उत्तराखंड (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)**	श्री कंवर भारतेंद्र सिंह श्री दुष्यंत चौटाला	श्री आर.के. सिन्हा	19.02.2016
2.	**केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)**	डा. संजय जायसवाल डा. थोकचोम मेन्या	डा. सी.पी. ठाकुर श्री परिमल नाथवानी	22.02.2016
3.	**कोंकण रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति**	---	श्री अमर शंकर साबले	02.03.2016
4.	**भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पुदुचेरीकेरल**	---	श्री एन. गोकुलकृष्णन श्री के.के. रागेश	15.03.2016
5.	**राष्ट्रीय ग्रामीण संवर्धन जीविका सोसाइटी की आम सभा (ग्रामीण विकास मंत्रालय)**	श्री जगदंबिका पाल	श्री नारायण लाल पंचारिया	10.05.2016
6.	**केंद्रीय सलाहकार समिति (श्रम और रोजगार मंत्रालय)**	श्री नीलम सोनकर	श्रीमती थोटा सीथारामा लक्ष्मी	19.07.2016
7.	**अखिल भारतीय खेल परिषद (युवा कार्य और खेल मंत्रालय)**	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत श्री बृजभूषण सरन सिंह	श्रीमती एम.सी. मेरी कॉम	27.07.2016
8.	**बाल श्रम पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (श्रम और रोजगार मंत्रालय)**	डा. विरेंद्र कुमार	श्री दिलीपभाई पांडया	29.07.2016

9.	**हाथ से मैला उठाने वालों के रूप में रोजगार का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 29 की शर्तों के अनुसार केंद्रीय निगरानी समिति(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)**	श्री भोला सिंह	श्री अमर शंकर साबले	15.09.2016
10.	**केंद्रीय दीपस्तंभ सलाहकार समिति (पोत परिवहन मंत्रालय)**	एडवोकेट श्री नरेंद्र केशव	श्री राम नारायण डूडी	16.11.2016
11.	**नेहरू युवा केंद्र संगठन का शासक मंडल (युवा कार्य और खेल मंत्रालय)**	---	श्रीमती रूपा गांगुली	14.12.2016

परिशिष्ट–12

(देखें पैरा 12.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों (एच.एस.एस.) पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	–––	श्री आर.के. सिन्हा	01.08.2016
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	–––	श्रीमती छाया वर्मा	19.08.2016
3.	वित्त मंत्रालय, राजस्व, व्यय और नियंत्रक तथा महालेखा परिक्षक विभाग	–––	श्री चुनीभाई कांजीभाई गोहेल	19.08.2016
4.	खान मंत्रालय	–––	श्री शिव प्रताप शुक्ल	15.09.2016
5.	इस्पात मंत्रालय	श्री सुभाष पटेल	–––	15.09.2016
6.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	श्री अशोक कुमार दोहरे	श्री गोपाल नारायण सिंह	23.09.2016
7.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	–––	श्री राम विचार नेताम	23.09.2016
8.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	–––	श्री राम विचार नेताम	25.11.2016
9.	विद्युत मंत्रालय	–––	श्री महेश पोद्दार	02.12.2016
10.	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	–––	श्री शिव प्रताप शुक्ल	02.12.2016
11.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	–––	श्री श्वेत मलिक	14.12.2016

परिशिष्ट–13

(देखें पैरा 12.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये 50,000/– प्रतिमाह दिनांक 18.5.2009 से
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/– दिनांक 1.10.2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हो) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01.01.2010 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 45,000/– प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 45,000/– प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 15,000/– लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 30,000/– प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा।
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 निरूशुल्क कॉल। ट्रंक काल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल निरूशुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा जब तक कि वे अपना पद नहीं छोड़ देते हैं। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल निरूशुल्क स्थानीय कॉलों के उपयोग करने के लिए किसी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों के लगाने और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल निरूशुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक टेलीफोन पर ब्राडबैंड सुविधा भी इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जाती है कि किराया रू.1500/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।

5	आवास	निरूशुल्क किराए वाले फ्लैट (जिनमें होस्टल आवास शामिल है)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। बिना किराए के फर्नीचर रूपये 60,000/– की आर्थिक सीमा तक स्थायी फर्नीचर और रूपये 15,000/– तक गैर–स्थायी फर्नीचर और मूल्यह्रास पर आधारित फर्नीचर की अतिरिक्त मदों के लिए किराया। प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की निरूशुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति। अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के निरूशुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड–1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 1.10.2010 से रूपये 4,00,000/– केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू दर के ब्याज पर। इस धनराशि को 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अन्दर वापिस लिया जाएगा। यह अवधि संसद सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।
9.	पूर्व सांसदों को पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/– प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/– प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
10.	संसद सदस्य का उसके कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उसकी पत्नी/पति/आश्रित को पेंशन।	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50: के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती – पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) अथवा आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।

11.	यात्रा भत्ता	रेलः एक प्रथम श्रेणी + एक द्वितीय श्रेणी का भाड़ा वायुयानः किसी भी एयरलाइन्स में एक और एक चौथाई वायुयान भाड़ा। नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। स्टीमर : उच्चतम श्रेणी का एक और 3/5 भाड़ा (भोजन शामिल नहीं है) सड़क : (i) रूपये 16/– प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/– (iii) सड़क द्वारा यात्रा भत्ता जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने–जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क–मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर–पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।
12.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने–जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
13	पूर्व संसद सदस्यों को यात्रा सुविधा	(1) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में निरूशुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (2) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (3) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।

14.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:– (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।
15.	पूर्व संसद सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
16.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) निरूशुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।
17.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा कर सकती/सकते हैं, और जब संसद सत्र चल रहा हो, तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति दी गई कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होंगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि सदस्य की पत्नी/पति ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय करती/करता है तो रूपये 16/– प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी गई है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ा, जो भी कम हो, का हकदार होगा/होगी।
18.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:– (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट–14

(देखें पैरा 12.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/– प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता, बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/– प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन।(ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है।(iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी प्रकार की अधिकतम सीमा के बिना कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती – पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में निरूशुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं।(ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार।(iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्ष्द्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा
4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) निरूशुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।